

वार्षिक प्रतिवेदन 2008-2009



राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

ईस्ट कोस्ट मार्ग, मुट्टुकाडु, कोवलम डाक, चेन्नै - 603 112.

दूरभाष : 044-27472113, 27472104, फैक्स : 044-27472389

ई-मेल : niepmd@gmail.com, वेबसाइट : www.niepmd.tn.nic.in

वार्षिक प्रतिवेदन

2008-2009



राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

ईस्ट कोस्ट मार्ग, मुट्टुकाडु, कोवलम डाक, चेन्नै - 603 113.

दूरभाष : 044-27472113, 27472104, फैक्स : 044-27472389

ई-मेल : niepmd@gmail.com वेबसाइट : www.niepmd.tn.nic.in

विषय सूची

अध्याय संख्या		पृष्ठ संख्या
1.	भूमिका	1
2.	संगठनात्मक स्वरूप	5
3.	मानव लम्बी अवधि और प्रशिक्षण	6
3.1	लम्बी अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम	
3.2	लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम	
3.3	कार्यशाला/सम्मेलन और संगोष्ठीयों में स्टाफ/प्रबंधक का सहभाव	
4.	सेवा कार्यक्रम	9
4.1	सेवाएँ	
4.2	अनुगमन सेवाएँ	
4.3	विशेष शिक्षा केन्द्र	
4.4	परिवार कुटीर सेवाएँ	
5.	विकलाँग लोगों को योजना की सहायता से खरीद/यथायोग्य सहायता अपनाने की सेवाएँ	22
6.	अनुसंधान और विकास	25
7.	महत्वपूर्ण घटनाएँ	26
8.	अन्य कार्यक्रम	31
9.	प्रशासन	32
10.	वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा रिपोर्ट	36
	अनुलग्नक	
क.	सामान्य परिषद के सदस्यों की सूची – अ	70
ख.	कार्यपालक समिति के सदस्यों की सूची – ब	72
ग.	शैक्षणिक समिति के सदस्यों की सूची – क	73
	अनुबंध	
i.	सोसायटी पंजीकरण का प्रमाण-पत्र	74
ii.	पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम के उद्देश्य, वर्ष 2008-09 के दौरान यशस्वी छात्रों की स्थिति के अनुरूप प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्राप्त विविध छात्रवृत्तियों का विवरण	75
iii.	लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण	81
iv.	कार्यशाला/सम्मेलन और संगोष्ठीयों में स्टाफ सदस्य/प्रबंधक का सहभाग	84
v.	राशी आबंटन और एडिप से उठाये खर्च	86

अध्याय 1

प्रस्तावना

बहुविकलांगों को अधिकार देने के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना 2005-2006 में पूर्वी तट सड़क, मुट्टुकाडु, चेन्नई में की गई जो एशिया महाद्वीप में अपने तरीके का पहला है। इस संस्थान का उद्घाटन 7 जुलाई, 2005 में आदरणीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की श्रीमती सुबलक्ष्मी जगदीशन, भारत सरकार के द्वारा किया गया। इस संस्थान का पंजीकरण तमिलनाडु के संघ पंजीकरण अधिनियम 1975 (तमिलनाडु अधिनियम 1975 के 27) और पृष्ठ संख्या 59/2006 चेंगलपट्टु 23 अक्टूबर 2006 (संघ के पंजीकरण प्रमाणपत्र, अनुबद्ध-1) के अंतर्गत है।

यह संस्थान, तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रदत्त भू-भाग पर स्थित है। संस्थान की कुल क्षेत्र 15.22 एकड़ है। यह संस्थान समुद्र के अप्रवाही जल से घिरा हुआ है। वर्तमान में, यह संस्थान तमिलनाडु सरकार द्वारा स्थापित कारखाना एवं निवास स्थल (स्थापना वर्ष 1975) के पुनरुद्धान भवन में कार्य कर रहा है।

बहुविकलांगता का अभिप्राय है अतिरिक्त विकलांगता जो अन्य मुख्य विकलांगता के साथ उसी व्यक्ति में है जो राष्ट्रीय न्यास (1999) के अधिनियम के खंड (हेचएन) भाग 2 में उल्लिखित है। उदाहरण : मानसिक मंदता के साथ बहरापन : मानसिक मंदता के साथ अंधत्व; बधिराँधता; मानसिक मंदता के साथ प्रमस्तिष्क पक्षाघात आदि।

वह व्यक्ति जो बहुविकलांगता की स्थिति में अतिरिक्त विकलांगता के दबाव से गुजरता है और उसकी अच्छी तरह से काम करने की क्षमता कम होने लगती है लगातार जो उसके रोजमर्रा के जीवन-यापन को सीमित कर, वातावरण से सहसम्बन्ध और समाज से संबंध को सीमित करता है। उदाहरण के लिए—एक व्यक्ति जो बहरा है ज़्यादातर अपने जीवन यापन, दिनचर्या सम्प्रेषण के लिए अपने दृष्टि इन्द्रियों पर निर्भर करता है। तथापि, एक व्यक्ति जो बहरा भी है और अंधा भी, वह सुनने एवं देखने की इन्द्रियों की क्षमता से वंचित होता है। अतः इन लोगों के पुनर्वास की शीघ्र आवश्यकता है, जिसके लिए प्रशिक्षित विशेषज्ञों को सेवाएँ दी जानी चाहिए जो इन बहुविकलांगों के क्षेत्र में मनोनीत हैं। **राष्ट्रीय नमूने पर्यावलोकन संस्थान (एन.एस.एस.ओ.) 2002 के पर्यावलोकन में पाया गया कि 10.63% सभी विकलांग व्यक्तियों में एक प्रकार से भी ज़्यादा विकलांगता के प्रकार पाये गये हैं।**

कोष्टक : 1 राज्यानुरूप विकलांग जनसंख्या और उसके प्रकार

अनु. क्र.	राज्य/संघ राज्य	दृष्टि-हिनता विकलांगता	धुंगेपन विकलांगता	बधीरता विकलांगता	अपंगता विकलांगता	मानसिक विकलांगता	कुल
1	आंध्र प्रदेश	581587	138974	73373	415848	155199	1364981
2	अरुणाचल प्रदेश	23079	2429	3072	3474	1261	33315
3	असाम	282056	56974	51825	91970	47475	530300
4	बिहार	1005605	130471	73970	512246	165319	1887611
5	छत्तीसगढ़	160131	30438	34093	151611	43614	419887
6	गोवा	4393	1868	1000	4910	3578	15749
7	गुजरात	494624	66534	70321	310765	103221	1045465
8	हरियाणा	201358	24920	27682	151485	49595	455040
9	हिमाचल प्रदेश	64122	12762	15239	46512	17315	155950
10	जम्मू और कश्मिर	208713	16956	14157	37965	24879	302670
11	झारखंड	186216	39683	28233	138323	55922	448377
12	कर्नाटक	440875	90717	49861	266559	92631	940643
13	केरल	334622	67066	79713	237707	141686	860794
14	मध्य प्रदेश	63614	75825	85354	495878	115257	1408528
15	महाराष्ट्र	580930	113043	92390	56945	213274	1569582
16	मणिपूर	11713	2769	2994	6177	4723	28376
17	मेघालय	13381	3431	3668	5127	3196	28803
18	मिज़ोरम	6257	2006	2421	2476	2851	16011
19	नागालैंड	9968	4398	5245	4258	2630	26499
20	ओरिसा	514104	68673	84115	250851	103592	1021335
21	पंजाब	170853	22756	17348	149758	63808	424523
22	राजस्थान	753962	73147	75235	400577	109058	1411979
23	सिक्किम	10790	3174	3432	2172	799	20367
24	तमिलनाडु	964063	124479	72636	353798	127521	1642497
25	त्रिपुरा	27505	5105	5699	13970	6661	58940
26	उत्तर प्रदेश	1852071	255951	128303	930580	286464	3453369
27	उत्तराखण्ड	85668	16749	15990	56474	19888	194769
28	प. बंगाल	862073	170022	131579	412658	270842	1847174
संघराज्य							
29	अंदमान और निकोबार द्विप	3321	652	545	1870	669	7057
30	चंडीगढ़	8422	882	607	3828	1799	15538
31	श्री नगर हवेली	2346	295	337	795	275	4048
32	दमन और दिव	1898	189	120	690	274	3171
33	दिल्ली	10712	15505	8741	64885	26043	235886
34	लक्षद्विप	603	207	147	505	216	1678
35	पांडिच्चेरी	10646	1818	2277	8830	2286	25857
	कुल	10634881	1640868	1261722	6105477	2263821	21906769

उपर्युक्त तालिका में राज्य के अनुसार विकलांगता दिखाई है। उसमें से 10.63% लोग बहु-विकलांगता से त्रस्त है। सभी राज्यों में 8 जणवितरण नमूदा है, वहाँ जिला स्तर पर प्रतिनिधित्व नहीं है।

1.1 उद्देश्य :

संस्थान के संघ के ज्ञापन के अनुसार, राष्ट्रीय बहु विकलांग अधिकारिता संस्थान के निम्नलिखित लक्ष्य और उद्देश्य हैं :

- i. कला की दशा, पुनर्वास मध्यस्थता जैसे-शिक्षा, चिकित्सीय, व्यावसायिक, रोजगार, अवकाश और सामाजिक क्रियाकलापों, खेलकूदों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और संपूर्ण प्रतिभागिता और विभिन्न दृष्टिकोणों/उपागमों के विकास द्वारा जिसमें सामुदायिक पुनर्वास, परियोजना प्रबंधन और गैर सरकारी संगठन के क्षमता निर्माण आदि के जरीर बहु विकलांगतावाले लोगों की अधिकारिता के लिए अंतर-विषयक/अनुशासन संबंधी, बहु-विषयक और पार-विषयक क्रियाकलापों को समाविष्ट करते हुए विभिन्न क्रियात्मक क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास कार्य करना है।
- ii. सामाजिक पुनर्वास के लिए सोसाइटी जिसे संस्थान के नाम से जाना जाता है या गैर सरकारी संगठन द्वारा बहु-विकलांगताओं से संबंधित सभी क्षेत्रों को प्रोन्नति के लिए अनुसंधान कार्य का संचालन करना तथा पार-विषयक/अनुशासन संबंधी माडलों और बहु-विकलांगताओं से पीड़ित लोगों के अलग-अलग वर्गों की जरूरतों को पूरा करना।
- iii. संस्थान या गैर सरकारी संगठनों द्वारा बहु-विकलांगताओं वाले लोगों की शिक्षा, पुनर्वास, क्षमता निर्माण और स्वतंत्र रूप से रहने के सभी पक्षों का संचालन, प्रायोजन, समन्वयन या शोध को आर्थिक सहायता देना।
- iv. प्रारंभिक मध्यस्थता, प्रारंभिक बाल्यशिक्षा, विशेष शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार, स्वतंत्र जीवन-यापन, सामुदायिक पुनर्वास और परियोजना प्रबंधन चिकित्सकों और अन्य कर्मिकों, प्रशिक्षकों और व्यावसायिकों के प्रशिक्षण और बहु-विकलांगताओं की अधिकारिता के क्षेत्र में प्रशिक्षण और संस्थान द्वारा आवश्यक समझे गये क्षेत्र पर प्रायोजित करना है।
- v. बहु-विकलांगतावाले व्यक्तियों की चिकित्सा, पुनर्वास और शिक्षा के कई पक्षों को प्रोन्नत करना। आद्यरूप के निर्माण, गढ़न, अपनाने, प्रोन्नत करने या निर्माणों के लिए आर्थिक सहायता देना। सभी सहायक सामग्रियों के सभी पक्षों की अभिकल्पना और प्रोन्नति करना है।

संस्थान के उद्देश्यों का सारांश :

- ✦ बहु-विकलांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों के प्रबंधन प्रशिक्षण, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक विकास के लिए मानव संसाधन विकास कार्य करना।
- ✦ बहु-विकलांगताओं से संबंधित सभी क्षेत्रों को प्रोन्नत करना और अनुसंधान का संचालन करना।
- ✦ बहु-विकलांगताओं वाले लोगों के अलग-अलग वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने, सामाजिक पुनर्वास के लिए पार-विषयक आदर्शों और मुक्तियों का विकास करना।
- ✦ बहु-विकलांगतावाले व्यक्तियों के लिए सेवाएँ और अभिनव कार्यक्रम करना।



दूर दृष्टि

बहुविकलांग व्यक्तियों को बेहतर जीवन जीने का अधिकार है। यह वचनबद्ध व्यावसायिकता, सुलभ पर्यावरण, समान अवसर, सकारात्मक मनोवृत्ति तथा समुचित, देने योग्य, स्वीकार योग्य और उपलब्ध प्रौद्योगिकीय मध्यस्थानाओं के द्वारा हासिल कराया जाना चाहिए।

मिशन

टीम अभिनव सरल अंतर्वेशन, बहु-विकलांग व्यक्तियों की अनुवर्ती अधिकारिता और उनके परिवारों को प्रमाणीकृत क्षेत्र आधारित अनुसंधान और मानव संसाधन विकास के द्वारा आवश्यकता आधारित व्यापक पुनर्वास प्रदान करना।

मूल्य विवरणी

पीडितों, परिवारों, व्यावसायिकों और सामुदायिक अभिकरणों की समान रूप से प्रतिभागिता द्वारा बहु-विकलांग व्यक्तियों के जीवन की गुणता का गुणवत्ता का विकास करना।

अध्याय 2


संगठनात्मक स्वरूप

2.1 सामान्य परिषद

संस्थान के सभी कार्यक्रमों का मार्गदर्शन और प्रतिनिधित्व सामान्य परिषद करती है। सामान्य परिषद की रचना परिशिष्ट 'अ' में दी है।

2.2 कार्यकारिणी परिषद

सामान्य परिषद के निर्देश एवं नियंत्रण में संस्थान के सभी कार्यों का क्रियान्वयन एवं निर्देशन कार्यकारिणी परिषद करती है। कार्यकारिणी परिषद का स्वरूप अनुसूची बी में दिया है।



अध्याय 3

मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण

आजकल, बहुत कम संस्थायें हैं जो बहुविकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सेवाएँ प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति बहु विकलांगता से पीड़ित हैं उनके लिए हमारे देश में कार्यक्रम व क्रियाकलाप सीमित हैं। पूर्वअनुभव दर्शाता है कि प्रारम्भिक पता लगाने व हस्तक्षेप कार्यक्रम, शिक्षा और पुनर्निवास मापन ने महत्वपूर्ण रूप से बहुविकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों के जीवन में सुधार किया है।

बहुविकलांगता के क्षेत्र में सीमित सेवाओं की प्राप्यता के लिए भावनकता के लिए, इस राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया गया, ताकि मानव संसाधन का विकास हो और इन अतिरिक्त समूहों के लिए दी जा रही सेवाओं को प्रेरित किया जाए। इस उद्देश्य को नज़र में रखते हुए यह संस्था निरंतर मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों का आयोजन करती है इन बहुविकलांगों के क्षेत्र में, जो भारत के पुनर्निवास परिषद द्वारा प्रमाणित है। मानव संसाधन विकास क्रियाकलापों में, डिप्लोमा स्तर पर विशेष शिक्षा कोर्स (जो कि अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर) और विभिन्न लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम जो पूर्वाभमुखीकरण कार्यक्रम और रिफ्रेशर कोर्स के जैसा है।

3.1 लंबी अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम :

यह संस्था निम्नलिखित कार्यक्रमों को डिप्लोमा स्तर पर लंबी अवधि पर आधारित प्रदान करता है, उन लोगों के लिए जिन्होंने पुनर्निवास क्षेत्र को चुना है अपने पेशे के रूप में और जिनका उद्देश्य एक विशेष अध्यापक बनने का है।

3.1.1 विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (प्रमस्तिष्क पक्षाघात)

कोर्स का ढाँचा एक व्यापक समझ प्रस्तुत करता है विभिन्न आवश्यकतों की उन बालकों की जो तंत्रकीय विकलांगता से पीड़ित हैं और ऐसे बालकों की आवश्यकतों की पूर्ति विशेष पाठशालाओं व नियमित कक्षाओं के स्कूलों में पूर्ति की जा सके।

3.1.2 विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (बधिराँधता)

एक साल का डिप्लोमा कोर्स जिसका उद्देश्य है ऐसे विशेष अध्यापकों को तैयार करना, जो परखने में योग्य, शैक्षिक मूल्यांकन करे और जो कार्यक्रम को अमल में ला सके जिसमें शैक्षिक प्रशिक्षण द्वारा बच्चों का प्रबंधन बहरे अंधे बच्चों के साथ। मुख्य उद्देश्य है पहला हाथ अनुभव प्रदान करना प्रशिक्षणार्थियों को उलझाव, नये उभरते झुकाव, हस्तक्षेप और मूल्यांकन तरीके भी बहरे अंधे बच्चों के मामले में।


3.1.3 विशेष शिक्षा डिप्लोमा (स्वालिनता विकार विश्लेषण)

यह पाठ्यक्रम उन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार किया गया है जो छात्रों के स्वलिनता विकार का विश्लेषण का उपचार का कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पाठ्यक्रम के स्वरूप से छात्रों की बहुत सारी विविध आवश्यकताओं की समझ आ जाती है। जो स्वचिनता विश्लेषण विकार से संबंधित है। और विशेष स्कूलों में तथा नियमित स्कूलों की कक्षाओं में उनके आवश्यकताओं को भी समझते है।

कोष्टक - 2 : दीर्घकालीन पाठ्यक्रम 2008-09 में छात्रों का नामांकन

पाठ्यक्रम का नाम	कालावधि	कुल संख्या	पात्रता	प्रवेश प्रक्रिया	नामांकन संख्या
डीएसई (प्रमस्तिष्क पक्षाघात)	01 वर्ष	13	10 +2	+2 प्राप्तांक तथा साक्षात्कार	13
डीएसई (बधिरांधता)	01 वर्ष	13	10 +2	+2 प्राप्तांक तथा साक्षात्कार	13
डीएसई (स्वालिनता विकार विश्लेषण)	01 वर्ष	13	10 +2	+2 प्राप्तांक तथा साक्षात्कार	13

ऊपर नमूद किए हुए पाठ्यक्रम के उद्देश्य और उसमें सफलता प्राप्त करके उससे लाभान्वित हुए छात्रों का विवरण अनुसूची-2 में दिये हैं।



3.2 लघु अवधि अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम


लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम सेवारत कार्यक्रम है जो व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत रूप से बहु-विकलांगता से ग्रस्त छात्रों की आवश्यकता और उनके पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य करते हैं। प्रशिक्षण के समय व्यावसायिकों तथा बहु विकलांगता से ग्रस्त बच्चों के अभिभावकों को संस्थान प्रशिक्षण देता है। यह पुनर्वास कार्यक्रम का एक अंग है जो अपने क्षेत्र में सही पुनर्वास सेवा में योगदान दे सकते हैं।

पुरस्तुत वर्ष 2008-09 में संस्थान की ओर से पुनर्वास क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यावसायिकों अभिभावकों, शिक्षकों, छात्रों तथा प्रतिभागियों में समगता निर्माण करता है। कुल 43 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें 1783 प्रतिभागी लाभान्वित हुए।

कोष्टक - 3 - लघु अवधि अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम

अनु.क्र.	कार्यक्रम का स्वरूप	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम (2, 3, 5 दिन)	21	581
2	अभिमुखीकरण और सजगता कार्यक्रम (1 दिन)	15	996
3	अंशिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (1 दिन)	07	206
कुल			1783

उपरोक्त सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण अनुसूची 3 में दी है।



3.3 कार्यशाला/सम्मेलन और संगोष्ठीयों में विभागीय सदस्य एवं सहकारियों का सहभाग :

विकलांगता के क्षेत्र में मानवीय संसाधनों को विकसित करने के लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संस्थान की ओर से व्यावसायिकों की अंकित करके उन्हें अपने अपने क्षेत्र के वर्तमान ज्ञान और अपने को विकसित करने का अवसर दिया। विभागीय सदस्य/अधिकारी विभिन्न अभिकर्ताओं से आयोजित कार्यशाला, सम्मेलन तथा संगोष्ठीयों में भाग लिये उसकी सूची अनुसूची-4 में दी है।


अध्याय 4

सेवा एवं कार्यक्रम

4.1 सेवाएँ :

बहुविकलांगवाले व्यक्तियों के लिए संस्थान की पुनर्वास सेवा निर्धारण और हस्तक्षेप से जुड़ी है। इसमें पूर्व इतिहास लेकर चिकित्सक परीक्षण और शारीरिक मूल्यांकन, बौद्धिक और विकासात्मक निर्धारण, विशेष शिक्षा निर्धारण, बोलना और सुनना निर्धारण, चिकित्सा की आवश्यकता का निर्धारण और व्यावसायिक निर्धारण जो वर्तमान वैयक्तिक क्रियान्वयन के अनुसार निर्धारण और मूल्यांकन कराया जाता है।


विभिन्न स्तरों पर बहु विकलांग व्यक्तियों के साथ आवश्यकता आधारित मध्यस्ता कार्यक्रम विकसित करके प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। बहु-विकलांगता के 255 नये केस, 2008-09 के दौरान पंजीकृत किये गये। संस्थान ने निम्न शून्य रिजेक्शन योजना में बहुविकलांग केस पंजीकृत किये जिसमें 360 केस एकल विकलांगता वाले थे। जिनके लिए पुनर्वास सेवाएँ प्रदान की गयीं (जिसमें से 236 पुरुष और 124 महिला थे)




सारणी 4 - संस्था में पंजीकृत वर्गीकृत बहु विकलांग व्यक्ति

अनु.सं.	एमडी वर्गीकरण	कुल
01	सीपी + एमआर	169
02	एएसडी + एमआर	31
03	एमआर + हेचआई	16
04	सीपी + हेचआई	10
05	एमआर + व्हीआई	07
06	हेचआई + व्हीआई	06
07	एमआर + एमआई	05
08	एएसडी + व्ही आई	03
09	सीपी + व्ही आई	02
10	सीपी + एएसडी	02
11	हेचआई + एलडी	02
12	हेचआई + एलव्ही	01
13	सीपी + एमआर + एएसडी	01
	कुल	255

संस्थान में बहु विकलांगता पंजीकरण का वर्गीकरण



बहुविकलांगता के पुनर्वास के लिए बहुविलानीय उपागम नमूना



पीएमआर	- शारीरिक चिकित्सा पुनर्वास	वि.शि.	- विशेष शिक्षा
पीटी	- भौतिक चिकित्सा	ईएल	- पूर्व अंतान्वेशन
ओटी	- अक्यूपेशनल दबाव पद्धति	सीपी	- प्रमस्तिष्क पक्षाघात
पी एवं यो	- प्रोसतेटिक एवं आर्तेटिक	डीबी	- बधिराँधता
सीआर एवं पीएम	- सामुदायिक पुनर्वास और प्रबंधन कार्यक्रम	इसीएसई	- शिशुओं के लिए विशेष शिक्षा

हम महान कार्य नहीं कर सकते
छोटा कार्य बड़े प्यार के साथ कर सकते
-मदर थेरेसा



4.1.1 शारीरिक (भौतिक) चिकित्सा पुनर्निवास विभाग :

भौतिक चिकित्सा पुनर्निवास विभाग अपने चिकित्सा पुनर्निवास, भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, कृत्रिम अंग और पदार्थ विकास इकाई और इन्द्रिय एकीकरण, बहुविकलांग व्यक्तियों को सेवाएँ प्रदान करते हैं। चिकित्सा परीक्षण का अनुसरण करते हुए दबाओं को आवश्यकतानुसार निर्धारित कर और ग्राहकों को दूसरे विशेषज्ञ के पास सलाह व आगे की कार्यवाही व पुनर्निवास के लिए भेजा जाता है।



चिकित्सीय मूल्यांकन

चिकित्सा सेवाओं की तुलना में भौतिक चिकित्सा सेवाएँ भी इस विभाग से दी जाती जो ग्राहकों को गतिशील और स्वतंत्र बनाता है व्यायाम, विद्युत और इन्द्रिय को मिला हुआ चिकित्सा देकर और कृत्रिम अंग जैसे विभिन्न उपकरण व सहायता प्रदान कर। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य "सालों में जीवन" ग्राहकों के और इनका केन्द्रबिंदु है परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षण देना व्यायाम व कार्यक्रमों में जिससे वे अपने बच्चों की जो विकलांग है उनकी देखभाल करें। ये इकाई आवधिक हस्तक्षेप आयोजित करता है और बहुविकलांगता से पीड़ित ग्राहकों के लिए तंत्रिका विज्ञान, नेत्र संबंधी विज्ञान व दैत्य चिकित्सालय खोलता है।

4.1.1.a. भौतिक चिकित्सा इकाई :

भौतिक चिकित्सा इकाई की सेवाओं में विभिन्न हस्तक्षेपीय तकनीकी जैसे ध्वनि निरोधनिकासी जो कम करता है पेशी ध्वनि को और चलने में सुविधा प्रदान करता है। धमनी पुनर्निवास की सुविधा प्रदान की जाती है फेफड़े के मात्रा को सुधारने और क्षमता को सुधारने के लिए, धमनी संक्रमण को कम करने और ऑक्सीजन संतृप्त करने खून में बढ़ाने के लिए व धमनी सहन शक्ति/रिबाऊंड चिकित्सा एक ऐसा विशेष तकनीकी है जो प्रदान की जाती है जहाँ कार्यक्रमों को उछाल-पट के लिए दिया जाता है जो संतुलन को सुधारता है, समन्वय, चलने में सुविधा और पेशी ध्वनि को कम करता है।



भौतिक हस्तक्षेप

4.1.1.b. व्यावसायिक चिकित्सा ईकाई :

बहुविकलांग व्यक्तियों के लिए दी जाने वाली सेवाओं में विभिन्न उपगमन और तकनीकें प्रयोग में लाई जाती हैं व्यावसायिक चिकित्सा में। तंत्र विकास चिकित्सा (एन.डी.टी.) को व्यक्तिगत तेत्तक हानि से जुड़ा है व सुधारता है। इन्द्रिय एकीकरण चिकित्सा (एस.ऐ.टी.) को औटिस्म स्पेक्टरम डिसऑर्डर से प्रभावित बच्चों पर इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें इन्द्रिय प्रकार्य अंक नहीं है। प्रोप्राइस्पटिव न्यूरोमस्क्युलर फेसीलीटेशन एपरोच, टास्क ओरियनटेड एपरोच, बाइयो-मेकेनीकल एपरोच कुछ अन्य एपरोचस् है जिन्हें इन विकलांग व्यक्तियों के पुनर्निवास के लिए प्रयोग किया जा रहा है।



हस्त प्रथिक्षण एवं मूल्यांकन

4.1.1.C. कृत्रिम अंग ईकाई :

यह ईकाई विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मूल्यांकन, मापन, विरचना, औचित्य और विभिन्न प्रकार के कृत्रिम अंगों, खप्पची, अनुकूलनीय युक्ति और आसनवाला युक्ति जो उनकी आवश्यकतानुसार प्रयोग में लाया जा सके और उसे समुदाय व वातावरण के लिए सुगम्य बनाया जा सके। विरचना और औचित्य तकनीकी कम लागत और कम वजन पर आधारित हैं, ताकि ऊर्जा मांग लागत व्यय को दिन प्रतिदिन कार्यक्रमों पर कम किया जा सके।



कृत्रिम एवं सहायक उपकरणों का प्रबंधन

4.1.2 पुनर्निवास मनोविज्ञान विभाग :

विभागीय सेवा के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, मानकीकृत यंत्र और व्यवहारिक कार्यक्रमों द्वारा विकलांग व्यक्तियों को दिया जाता है। दूसरों से संवेगात्मकता, मनोवैज्ञानिक, भौतिक अंतर होने पर भी बच्चे को परिवार में स्वीकार करने के लिए उच्च स्तर पर परिवार समुदाय एपरोच प्रयोग में लाया गया। हस्तक्षेपीय नमूने बच्चों के लिए हैं उसके अलावा पारिवारिक सदस्यों को मार्गदर्शन दिया जाता है ताकि बच्चे के विकास को प्रेरित कर सकें। एक गृह आधारित कार्यक्रम भी तैयार किया गया है जिसे परिवार के सदस्यों को घर पर हो अनुगमन करना चाहिए।



मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन

4.1.3 विशेष शिक्षा विभाग :

बहु विकलांगता ग्रस्त बच्चों के क्रियात्मक क्षमताओं की पहचान विभिन्न पहचान-सूची से किया जाता है। व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम में छात्रों की उपस्थिति में विशेष शिक्षा सेवातरंगत नियतकालीक मूल्यांकन किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अभिभावकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बहुसंवेगी तथा कम लागत की शिक्षण अधिगम सामग्रीयों का प्रयोग करके शिक्षण तथा अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाता है। पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सहगामी क्रियाएँ उनमें विशेष कौशलों के क्रियान्वयन की शिक्षा देते हैं।



विशेष शिक्षा विभाग में विकलांगता का परिक्षण करते व्यक्ति

4.1.3.a. पूर्व मध्यस्थता सेवाएँ :

बालक के जन्म से लेकर तीन साल की आयु तक जोखिम/दैनिक विकासात्मकता को ध्यान में रखकर पूर्व मध्यस्थता सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। बालक विभिन्न प्रकार की विकासात्मक स्थितियों जैसे-गतिशिलता, भाषा, संवेग, स्वसहाय और सामाजिक कुशलता को सीखता है। खेल विधि में बालक की विकासात्मक क्रियाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। परिवार आधारित कार्यक्रम में भी इसी का विवरण तथा निर्माण अभिभावकों के द्वारा किया जाता है।



बहुविकलांगता ग्रस्त बालक का पूर्व मध्यस्थता मूल्यांकन

4.1.4 भाषा सुनना व संप्रेषण का विभाग :-

यह विभाग उन बच्चों को सेवाएँ प्रदान करता है जिन्हें सुनने व संप्रेषण में बाधा होती है। इसमें मूल्यांकन और निदान; हस्तक्षेप, अनुगमन व प्रदर्भित कार्यक्रम होते हैं। एक ग्राहक केन्द्रित ऐपरोच अनुगमनित किया जाता है, जिसमें बच्चों के योग्यता को प्रदर्शित किया जाता है ना कि उनकी विकलांगता को। एक नमूना 'मेरा प्रतिभाशाली बालक' इस कार्य के लिए प्रयोग में लाया गया है, जहाँ परिवार के सदस्य व माता-पिता को इस हस्तक्षेपीय कार्यक्रम में सहभागी बनाया गया है।



भाषा-संप्रेषण के लिए समूह प्रशिक्षण

4.1.5 वयस्क स्वतंत्र निर्वाह विभाग :


यह विभाग कार्य करता है इन उद्देश्यों के साथ कि बहुविकलांग वयस्कों को स्वतंत्र जीवन जीने के लिए पर्याप्त सहारा मिल सके। इन सेवाओं में मूल्यांकन और व्यावसायिक निर्देशन और विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम वयस्कों के लिए जो बहुविकलांग हैं। इसके अतिरिक्त, परिवार के सदस्यों को शक्ति देने का विचार प्रस्तुत किया गया, आय उत्पन्न कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा उनके आर्थिक स्वतंत्रता और जीवनयापन को बेहतर बनाने के लिए।



वयस्कों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण

4.1.6 सामुदायिक पुनर्निवास और कार्यक्रम प्रबंध विभाग :

इस विभाग ने अपनी सेवाएँ उन अनपहुँच क्षेत्रों के लिए विस्तारित सेवाओं, पहुँच के बाहर कार्यक्रमों, माता-पिता समूह भेंट और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को अर्पण किया है। इस विभाग में मामलों का पंजीकरण और मामलों के अभिलेखों जो ग्राहकों के हैं उन्हें भी प्रबन्ध करता है।



लाभार्थियों का पंजीकरण

4.2. अनुगमन सेवाएँ :


प्रारंभिक मूल्यांकन के पश्चात् ग्राहकों को विस्तारित मूल्यांकन के लिए भेजा जाता है और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न विभागों में प्रशिक्षण दिया जाता है। कौशलों के विकास के लिए माता-पिता को भी उचित भौतिक आवश्यकताओं के लिए निर्देशन दिया जाता है। 2008-2009 वर्ष में 445 बहुविकलांग व्यक्तियों को 18,005 अनुगमन सेवाएँ प्रदान की गई थी।

4.3. विशेष शिक्षा केन्द्र :

इस संस्थान ने एक नमूना-स्कूल नाम "तिरमई (अर्थात् उपयुक्तता तमिल में) विशेष स्कूल 2007-08 वर्ष में, जिससे बहुविकलांगता से पीड़ित मरिजों को शिक्षा संबंधि आवश्यकताएँ दी जा सके। वर्तमान वर्ष में 75 छात्रों का नामांकन किया गया। यह विद्यालय विकलांगता पर आधारित निम्नलिखित इकाईयों पर चलता है।

- शैशवास्था की विशेष-शिक्षा के लिए इकाई
- अतिरिक्त विकलांगताओं के साथ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात
- बधिरांधता के लिए इकाई
- अतिरिक्त विकलांगताओं के साथ स्वलीनता के लिए इकाई

विशेष विद्यालयों में नामांकन किये लाभार्थियों की संख्या



4.3.1 पूर्व शैशवास्था विशेष शिक्षा की इकाई : (ECSE)

छः वर्ष से कम आयु के बालक जिनका विकास समयानुकूल नहीं हो रहा है उनका नामांकन इस इकाई में किया जाता है। स्वसहाम्य कुशलता, दैनिक जीवन संबंधि क्रियाओं को प्रशिक्षित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। सामाजिकरण, भाषाई विकास, गति तथा जानात्मक कुशलता, कमजोर क्षेत्रों के विकास के लिए खेल विधि का प्रयोग इस प्रशिक्षण का मुख्य लक्ष्य संबंधित शिक्षा को विकसित करना है। जिन बालकों का विकास देर से हो रहा है उन्हें अधिक से अधिक विद्यालय पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान वर्ष में इस इकाई में 14 छात्रों का नामांकन हुआ। विकलांगता का अनुपात ऐसे रहा प्रमस्तिष्क पक्षाघात के विकास में विलंब-11 और स्वलीनता विकास में विलंब-3।


4.3.2 प्रमस्तिष्क पक्षाघात और अधिकतम विकलांगता की इकाई :

यह इकाई प्राथमिक कक्षा, माध्यमिक कक्षा और पूर्व व्यावसायिक कक्षा में विभाजित है। प्राथमिक कक्षा-कक्ष :- 7 से 10 वर्ष आयु समूह के बालकों के लिए क्रियात्मक कौशलों को प्रशिक्षित किया जाता है। जिसमें व्यक्तिगत, सामाजिक, प्रशासनिक, व्यावसायिक और पुनःसर्जनात्मक क्रियाएँ। माध्यमिक कक्षा-कक्ष:- 11-14 वर्ष आयु समूह बालकों क्रियात्मक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है जैसे-प्रशासनिक, पारिवारिक और व्यावसायिक कुशलता का विकास। पूर्व-व्यावसायिक कक्षा-कक्ष:- 14 वर्ष से अधिक आयु के बालकों के लिए विद्यालय में ही व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया। उन्हें कार्य से संबंधित व्यावहासिक प्रशिक्षण दिया गया। वर्तमान वर्ष में इस इकाई में 35 छात्रों का नामांकन हुआ जिसमें औपधिय पुनर्वास के प्रमस्तिष्क पक्षाघात के विकलांग-22 और गतिहिनता में औषधिय पुनर्वास-30

4.3.3 बधिरांधता इकाई :

बधिर अंधत्व-द्वहेरी बालकों के तीन प्रमुख क्षेत्रों में सुधार हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है जैसे-वार्तालाप, बोलचाल और गतिशीलता तथा मूल संकल्पना इसमें प्रयोगात्मक अधिगम उपागम द्वारा शैक्षिक सामग्री साधनों का उपयोग किया जाता है। इस वर्ष 13 छात्रों का इस इकाई में नामांकन हुआ वे सभी बालकों की स्थिती अत्यधिक कम सुनना तथा मानसिक विकास में बाधा की स्थिती में थे।

विशेष विद्यालय के प्रत्येक इकाई में नामांकन किये छात्रों की संख्या



4.3.4 स्वलीनता के साथ अत्यधिक अक्षमता की इकाई :

इस इकाई में स्वालीनता एक क्षेत्र में अत्यधिक अक्षमतावाले बालकों की पहचान करने का कार्य किया जाता है। इन बालकों के संवादात्मक और सामाजिकत्व को विकसित करने का प्रशिक्षण इस प्रारूप में है। इस पवित्र नमूने में विशेष की पहचान और सामान्य क्षमता का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान वर्ष में इस इकाई में 13 छात्रों ने नामांकन किया जो स्वालीनता के औषधिय पुनर्वसन से संबंधित रहे।

4.3.5 सहगामी क्रियाएँ :

विभिन्न सहगामी क्रियाएँ जैसे खेल, नृत्य, नाटक, कला, योग, वनभोज आदि बहुविकलांग बच्चों के लिए आयोजित किए गए। इन क्रियाओं का मुख्य केन्द्र था सामाजिकता, सम्प्रेषण व प्रेरक कौशलों को सुधारना।

4.4. परिवार घरेलु/कुटीर सेवाएँ :

परिवार घरेलु सेवाओं का उद्देश्य है घरेलु आधार प्रशिक्षण प्रबंध व्यवस्था का विकास करते हुए जो कार्यान्वित करने के लिए है। ये सेवाएँ उनके लिए है जो परिवार बहुविकलांग बच्चों के साथ दूर-दूर स्थानों पर निवास करते हैं। ये सेवाएँ इस उद्देश्य से चलाई जाती हैं कि माता-पिता को मुख्य उद्देश्यों के लिए प्रशिक्षण एक या दो हफ्तों के लिए बच्चे की आवश्यकतानुसार दिया जाए। इसके लिए घरेलु प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के साथ ही एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम जो विशेषज्ञों के समूह द्वारा आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम को माता-पिता को प्रदर्शित किया जाता है उनके बच्चों के कौशलों के विकास के लिए।

4.5 विस्तारित सेवाएँ :



राज्य संसाधन प्रशिक्षण केन्द्र (SRTC) के साथ मिलकर एन.आई.ई.पी.एम.डी. चेन्नई ने एक पुनर्निवास सेवाएँ जो शहरी जनसंख्या के लिए है शुरू किया। व्यावसायिक टीम जिसमें, विशेष शिक्षकगण, भाषा व वाक् विकृति विज्ञानी और श्रव्य विज्ञानी, बाल चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक ग्राहकों को देखते है निरंतर और 1075 ग्राहकों के लिए निर्देश बनाये जाते हैं।

सफलता की कहानी



मास्टर तरुण जो 24 दिन का शिशु था एनआईईपीएमडी (NIEPMD) में लाया गया था। उसकी समस्या यह थी कि वह अपने दायें ऊपर के अंग को आँख के टोसिस के कारण उठा नहीं पा रहा है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार इस अवस्था को, "गुच्छिका के पूर्व बाहु जालक जख्म" के नाम से जाना जाता है। इसका कारण जांघिया प्रस्तुति और चिमटी प्रसव।


पूर्व, बच्चे को सही स्थिति में चिमटी (हवाई जहाज चिमटी) के सघरे रखा गया और विद्युत प्रेरणा प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को एक हफ्ते में पाँच दिन तक निष्क्रिय व्यायाम, निष्क्रिय ताननेवाले कार्यवाही तीन महीने की आयु तक दिया गया। तीन महीने से स्थिति निकासी, किरणों से उपचार करने वाले विधि और निरोध उत्पन्न करने वाले गति रोगोपचार भी इस क्षेत्र में सम्मिलित किए गए थे।



पहले पहल किए गए मूल्यांकन में माँस की शक्ति शून्य (0) थी सभी माँस पेशियों में (MRC Scale), प्रबंधन के बीच उसकी माँस पेशियों की शक्ति थोड़ी सुंधरी है कम से कम 2 कंधे के आकुंचनी और व्यापकता में सुधार हुआ है, (2-) अपगमन में और एक (1) अंदर और अंदरुनी घुमावों के अंदर, कुहनी व्यापकता में सुधार आया है (2-) बक का/वर्तमान स्थिति में वह शिशु उसके प्रभावित क्षेत्र को प्रयोग कर सकता है जो उसके ऊपरी अंग में था द्विपक्षीय सहारे से चीज़ों को पकड़ सकता है, चूसने के लिए उंगली उठा सकता है, घूमने के लिए हाथ का सहारा ले सकता है, और प्रभावित क्षेत्रों को सहारा दे सकता है जो विकसित स्थिति में है।

इस तरह की स्थिति में बहुत बुरा रोग का पूर्वानुमान लगाया गया, इस बच्चे ने तीने महीने की अवधि में अच्छा सुधार दिखाया है। साहित्य उल्लेख करता है कि ज़्यादा प्रगति इस क्षेत्र में होती है ज़्यादातर 20-24 महीने की उम्र में होता है। इस शिशु में और अधिक विकास देखने की इच्छा है।

सफलता की कहानी




कन्नारतूर, जो NIEPMD से 5 कि.मी. दूर है एक परिवार रहता है जिसमें दो बेटे और तीन बेटियाँ हैं। हमारे सर्वेक्षण के समय हमने इस परिवार में देखा कि दोनों बेटों को प्रेरक परेशानियाँ थी, भाषा में गारापन, चलने का ढंग और कम समझने की शक्ति वह हैं श्री मुस्तफा जो 27 वर्ष के हैं अब। तीन साल पूर्व उनकी पहचान होने के बाद, उनका पूरा मूल्यांकन बहुअनुशासनिक समूह NIEPMD में थे, किया गया ताकि एक पूर्व जाँच कि वह प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात है और मानसिक मन्दता के साथ है और उसके वर्तमान कार्य करने की क्षमता।



पुनर्निवास योजना बनाई गई जिसे व्यावसायिक नियंत्रकों, भौतिक चिकित्सकों, भाषा चिकित्सकों, मनोवैज्ञानिक और विशेष शिक्षकों ने तैयार किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दो साल के लिए विस्तारित किया गया। भौतिक चिकित्सक ने उसके चलने के ढंग व ढंग के सहयोग के लिए आगत डाले गए। उसकी समझने की शक्ति के लिए भाषा चिकित्सा और उसके शाब्दिक कौशल को प्रयोग करने के लिए। मनोवैज्ञानिक जो उसके एकादाता व ध्यान जो व्यावसायिक कौशल में है उसे बढ़ाना और कार्य की ओर उसके रुचि को बढ़ाना जबकि विशेष शिक्षक उसे व्यावसायिक कार्यक्रमों द्वारा विभिन्न अवसर प्रदान करेगा एक उचित व्यावसायिक निर्देशक के निर्देशन में। तद्पश्चात् हमने देखा कि वह अपने कार्य में मस्त था, उसे फाइलों को कवर करने, सफाई करना, कक्षा को साफ सुथरा, आफिस के फाइलों को उल्लेखनीय व्यक्तियों को देना। उसके व्यवहार में काफ़ी बदलाव आया न सिर्फ संस्था में, बल्कि उसके घर के वातावरण में भी। वह अपने उत्तरदायित्वों को बाँटकर और घर के कर्मकाण्डों में भाग लेना-मस्जिद जाने लगा और इस साल उसने रमज़ान के उत्सव में उत्साह के साथ भाग लिया और उस पवित्र महीने भर में उसने रोज़ रखे, जिसे उसकी माँ गर्व से कहती है। रक्षक में अब वह एक शिशु यांत्रिक के रूप में कार्य कर रहा है और उसे 800/- हर महीने मिलते हैं जिसे देखकर वह खुश और गर्वीत महसूस करता है, जरूर वह भी स्वाभिमान के साथ।

सफलता की कहानी



मास्टर सैयद अफरीदी, जो 12 बरस का लड़का है, बहुविकलांगता से पीड़ित पाया गया जो प्रमास्तिष्कीय धात (मस्तिष्क ससंतम्भ से अक्रांत) बहरेपन और व्यक्तिगत कार्य क्षमता में ज़रा सी कमज़ोरी बहुअनुशासनिक समूह द्वारा मूल्यांकन के बाद उसे भौतिक चिकित्सा ईकाई, भाषा, सुनने और सम्प्रेषण विभाग और विशेष शिक्षा विभाग को दिखाने को कहा गया। भौतिक चिकित्सालय में सहारे के बिना चलन सकने की शिकायत के कारण भर्ती किया गया। और झुके हुए घुटनों से वह सिर्फ चंद क्षणों के लिए किसी भी चीज़ को पकड़कर खड़ा हो सकता था। हस्तक्षेपीय योजनाएँ जैसे स्थापन व सरलीकरण तकनीकों का सम्प्रेषण चिन्ह भाषा और अंग-विक्षेप के द्वारा। उसे नसों के विकास के लिए चिकित्सा छः महीने के लिए हफ्ते में दो बार दिया गया और अब भी चिकित्सा जारी है। इसमें खिंचाव, संतुलन व्यायाम और बल देनेवाले व्यायाम जो विभिन्न मुद्राओं में है।



बहु हस्तक्षेपीय कार्यक्रमों जो निरंतर दिए जाते हैं, माँसों की सकृती को कम किया गया जहाँ पहले वह ठीक तरह से रेंगने लगा। धीरे-धीरे वह चलने लगा अपने कुहनियों के डंडे के सहारे, जिससे उसे आगे की पढ़ाई करने में मदद मिली। आगे, श्रवण व सम्प्रेषण प्रशिक्षण दिये गए उसको भाषा, श्रवण व सम्प्रेषण विभाग से। उसके अतिरिक्त, उसे विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण दिया गया अपने संज्ञानात्मक व कार्यान्वित विद्वता के विकास के लिए।

सफलता की कहानी



मास्टर दिनेश, 6 साल की उम्र, एक फुर्तीला लड़का, (NIEPMD) में लाया गया था उसके माता-पिता द्वारा जिन्होंने कहा कि उसे अच्छे गति अंगलीला की शिकायत है जो उसके पढ़ाई में मंदता दिखालाता है। और उसे रोजमर्रा की कार्यक्रमों को करने के कौशलों में भी तकलीफ़ होती है। विस्तारित मूल्यांकन बहुअनुशासनिक समूह द्वारा किया गया और पाया गया कि उसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (दायें शिशु पक्षाघात रक्तस्कंदहीनता) जिसके साथ सीमावर्ती व्यक्तिगत कार्य में बाधा पाया गया। उस बच्चे को फिर व्यावसायिक चिकित्सालय दिखाने को कहा गया और प्रारम्भिक बाल्यावस्था विशेष शिक्षा ईकाई में पुनर्निवास सेवा के लिए डालने को कहा गया।

मूल्यांकन किया गया पता लगाने के लिए कि व्यावसायिक चिकित्सा के साथ और कोई ऊँचे दर्जे की समस्या है किया? ऊपरी अंग का मरोड़, हाथों का काम न करना (जैसे पकड़ न पाना उदा. घुमाव, चौड़ाई, बेलानाकार आदि) मंद गति अंगलीला (तिकोण, निःसधय) धीमी कौशलों में आपसी मेल, बहुत बुरी हस्तलेखन सब देखा गया जब पहले पहल मूल्यांकन किया गया था, तथापि उसके कंधों व कुहनी के क्षेत्रों में स्वैच्छिक अंगरलीला नियंत्रण पाया गया।



उसकी चिकित्सा में नसों का विकास (NDT) (वज़न), धत्त क्रियाएँ (जैसे विभिन्न आकार के पेग बोर्ड), ब्लॉक्स (विभिन्न आकार), उंगली की सीढ़ियाँ, गोले को लगाना, समस्या खड़ी करने वाले पेट्टी (विभिन्न आकार व प्रकार के), चिकित्सा गेंद, (CIMT), खेल चिकित्सा, आराम करना आदि। उसे सुझाव दिया गया था कि वह घर पर एक कार्यक्रम को पालन करे जिससे वह अपने हाथ के कार्यक्रमों को निरंतर कर सके।



यह पिरशिक्षण 1 साल तक के लिए दिया गया था। उसके हस्त क्रियाओं में सुधार दिखा (पकड़ने में) गति में, व अंगलीला के स्वैच्छिक नियंत्रण में। अब रोजमर्रा की सभी क्रियाओं में वह स्वतंत्र हो चुका है, सभी काम अपने आप करता है।

साथ साथ उसे संज्ञानार्थ प्रेरणा में प्रशिक्षण कार्यक्रम जो प्रारम्भिक बाल्यावस्था विशेष शिक्षा ईकाई, द्वारा, जबकि पूर्व-पढ़ाई या पूर्व-शिक्षा, सामाजिक कौशल और कला व कृति से संबंधित कौशलों द्वारा दिया जाता है। एक सफल विकास होने पर, एक निरंतर जाने वाले स्कूल में भर्ती करने की योजना बनाई गई। अभी वह एक निरंतर चलने वाले स्कूल में है जहाँ वह पढ़ाई में अपने कौशलों की क्रियाओं को करने में समर्थ है। उस पर आवधिक निगरानी रखी जा रही है और स्कूल के शिक्षकों को आवश्यक सहायता भी दी जा रही है।

अध्याय 6

विकलांग व्यक्तियों के सहाय्यार्थ उपकरणों की खरीद/ उपकरणों को जोड़ना। क्रियान्वयन सेवाएँ योजना (एडिप)

संस्थान के वित्तीय वर्ष 2008-09 में एडिप योजना के क्रियान्वयन में कार्य किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकता के सहाय्यार्थ कार्यक्षम सुलभ और वैज्ञानिक विधि से तैयार आधुनिक प्रामाणिक साधन और उपकरणों के निर्माण में भौतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुर्नवसन हेतु विकलांगता दूर करने और उनकी आर्थिक आवश्यकता में सहायता करना। साधन और उपकरणों की उपलब्धता भारतीय मानक प्राश्रिकरण (BIS) के आधार पर की गई। NIEPMD द्वारा तमिलनाडु और आन्ध्रप्रदेश के विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित किये। इसका विवरण निम्न है:-

कोष्ठक-5 वर्ष 2008-09 में आयोजित किये गये एडिप शिविर

क्र.सं.	स्थान	दिनांक
	आंध्र प्रदेश	
1.	तिरुपति (निरीक्षण शिविर)	20 और 21 मई 2008
2.	गुंटूर (विवरण शिविर)	22 और 23 अगस्त 2008
3.	गुंटूर बायला (विवरण शिविर)	29 दिसम्बर 2008
	कर्नाटक	
4.	चिक्कमंगलोर जिले के नरीकेरा, कोधा तथा एनआरपूर (निरीक्षण शिविर)	23 से 26 सितंबर 2008
	तमिलनाडु	
5.	कृष्णागिरी (निरीक्षण तथा विवरण शिविर)	10 अप्रैल 2008
6.	नम्नकल (निरीक्षण तथा विवरण शिविर)	15 अप्रैल 2008
7.	बोदीनाथकनूर (निरीक्षण तथा विवरण शिविर)	19 अप्रैल 2009
8.	अरकोणम, बलजा, अर्काट, नेमिली, काबेरीपक्कम तथा सोलीयूर (निरीक्षण शिविर)	13 से 16 मई 2008
9.	उदमलयेट (निरीक्षण शिविर)	02 मई 2008
10.	राजपल्लयम (निरीक्षण शिविर)	12 मई 2008
11.	दिंडीगल जिला पलनी, ओन्नचिनीराम तथा नाथम (निरीक्षण शिविर)	18 से 20 जून 2008
12.	धर्मपूरी (निरीक्षण शिविर)	24 से 28 जून 2008
13.	नागपट्टणम जिला (विवरण शिविर)	21 से 22 जुलाई 2008
14.	कुड्डलूर जिला (विवरण शिविर)	5 से 7 अगस्त 2008
15.	विल्लीपूरम (विवरण शिविर)	8 अगस्त 2008
16.	तिरुची (विवरण शिविर)	11 से 14 अगस्त 2008
17.	मयला दुनुराई (पोंपुहर, कट्टुचेरी सिरकाली तथा मनपनदहल) (निरीक्षण शिविर)	9 से 12 सितंबर 2008
18.	गुजियातम (विवरण शिविर)	21 अक्टूबर 2008
19.	अरकोणम तथा शोलिंगर (विवरण शिविर)	8 नवंबर 2008
20.	कावेरीयक्कम (विवरण शिविर)	10 नवंबर 2008
21.	रानीपेट (विवरण शिविर)	11 नवंबर 2008
22.	मईलादुतुराई (विवरण शिविर)	6 फरवरी 2009
23.	मद्रास रेजीमेट केन्द्र वेलीगटन, उठी (निरीक्षण शिविर)	9 फरवरी 2009
24.	संकोटीपाल्यम ईरोड जिला (निरीक्षण शिविर)	22 फरवरी 2009

कोष्ठक 6 - राज्यानुरूप लाभ धारकों की कुल संख्या


क्र.सं.	स्थान	लाभधारकों की संख्या
आंध्र प्रदेश		
1.	चित्तूर	313
2.	गुंटूर	172
तमिलनाडु		
3.	गुडियातम	473
4.	विल्लीपूरम	339
5.	कड्डुलूर	333
6.	अरकोणम	306
7.	मईलादुमुराई	261
8.	नागपट्टणम	203
9.	चिरुची	186
10.	चेन्नई	147
11.	बोदीनायकनूर	108
12.	पचीकापाल्यम	102
13.	गुडीमानगलम	093
14.	नम्मकल	064
15.	उदमलाईपेट	063
16.	राजापालयम	038
17.	कृष्णगिरी	024
18.	सेलम	015
योग		3240




माननीय केन्द्रीय मंत्री श्रीमती मीराकुमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार तथा माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर, पंचायत राज मंत्री, भारत सरकार, तमिलनाडु के नागपट्टणम जिले के मइलादुनुराई में आयोजित वितरण शिविर में लाभधारकों को सहायक उपकरण वितरण करते हुए।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 एनआईईपीएमडी (NIEPMD) द्वारा अनुदान (अडिप) योजना के अंतर्गत तमिलनाडु कर्नाटक तथा आंध्रप्रदेश के कई स्थानों पर शिविर आयोजित किये गये। अडिप योजना कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया, संस्थान के द्वारा वितरण अधिक्षक कार्यालय के साथ मिलकर कार्यान्वयन योजना का निर्माण अधिक लाभधारकों तक योजना को ले जाने हेतु किया गया। समुदाय की आवश्यकता तथा उपयोगिता को ध्यान में रखकर निरीक्षण तथा वितरण शिविर आयोजित किये गये। 2008-09 वर्ष में 3240 विकलांग व्यक्तियों को 5927 साधनों एवं उपकरणों का पहुँचाया गया। अनुदान राशी का आबंटन तथा वितरण का विवरण अनुसूची 4 में दी गई है:-

वितरण किये गये साधनों और उपकरणों की श्रेणी



साधनों और उपकरणों की संख्या



अध्याय 6

शोध एवं विकास

6.1 शोध अध्ययन, पूर्ण किये, प्रकाशित:

वर्तमान वर्ष 2008-09 में संस्थान की ओर से निम्नलिखित शीर्षक अंतर्गत शोध कार्य किया गया— (“Enabling early detection & prevention of disabilities - Report of an impact study conducted in Tamil Nadu.”) “अक्षमता और विकलांगता की रोकथाम के पूर्व भेदों का पता लगाना- तमिलनाडु में किये गये प्रभावात्मक अध्ययन की एक रिपोर्ट” यह अध्ययन तमिलनाडु के निम्न जिलों के फैलाव से 200 न्यादर्श पर किया है— कोयम्बतूर, सेलम, धरमपूरी, कृष्णागिरी, इरोड, नाम्मकल और निलगिरी। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप यह ज्ञात हुआ कि अक्षमता और विकलांगता रोकथाम के लिए पहले से निगरानी रखते हैं तो उसका निश्चित प्रभाव जमिनीस्तर पर कार्य करने वाले मूल स्तर कर्मियों और माताओं पर रहता है। यह अध्ययन जनवरी 2009 के "Indian Journal of Social Work" भारतीय समाज की पत्रिका ग्रंथ 70 के अंक 1 में प्रकाशित हुआ है।

6.2 कार्यरत अनुसंधान अध्ययन:

सन् 2008-09 में विभिन्न विभागों के सदस्यों द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधानात्मक कार्य चल रहा है—

- व्यक्तियों का बहुविकलांगता के साथ जीव-रासायनिक तथा स्नायु निदान का प्रारूप इस शोध का उद्देश्य है। जीव रासायनिक अक्षमता पर अनुवंशिकता का प्रभाव जन्म के पूर्व की प्रक्रिया में विकास की प्रारंभिक अंतिम तथा जन्म के समय मस्तिष्क बिखराव की स्थिति किस स्तर स्नायो पर दबाव या प्रभाव डालती है जिस के कारण बहुविकलांगता आती है।
- बहुविकलांगता वाले बच्चों में सोने की स्थिति का दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में प्रभाव—बहुविकलांगता वाले बच्चों पर सोने की स्थिति का आमतौर से नींद में भौतिक, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के दुष्परिणाम विकास पर हो जाता है। निदान तथा उपचार पद्धति का प्रयोग करने में इसका प्रभावी उपयोग किया जा सकता है।
- प्रमस्तिष्किय पक्षाघात (स्पैस्टिक क्वाड्रिप्लीजिया) से ग्रस्ति व्यक्तियों के लिए वातानुकूलन, परिमाणात्मक तथा मध्यस्थता का निरीक्षण— इस अध्ययन का मुख्य लक्ष्य क्वाड्रिप्लीजिया प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के प्रमुख क्रियात्मक घटकों पर प्रकाश डालता है, साथ ही इस प्रकार के मरीजों की सुरक्षा तथा विकास के लिए मध्यस्थता के रूप में कार्य करके उसका पुनर्वसन का कार्य करना है।

6.3 शैक्षिक समिति :

शैक्षिक समिति संस्थान द्वारा प्रशिक्षण, शोध और पुनर्वसन हेतु किये जानेवाली योजनाओं का मार्गदर्शन तथा सुझाव देती है। शैक्षिक समिति के उद्देश्यों को अनुसूची 'क' में दिया है।

अध्याय 7

महत्वपूर्ण कार्यक्रम

7.1 प्रादेशीक खेल

बहुविकलांगता व्यक्ति के लिए NIEPMD (एनआईईपीएमडी) ने प्रादेशिक खेलों का आयोजन 2008 में 3 से 6 जुलाई 2008 तक सेंट जोसेफ इंजिनियरिंग कालेज के साथ मिलकर कालेज के खेल मैदान में आयोजित किया। खेलों का उद्घाटन 3 जुलाई 2008 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के राज्यमंत्री, श्रीमती सुब्बलक्ष्मी जगदिशन ने किया। विशेष अतिथि के रूप में तमिलनाडु, सरकार के समाज कल्याण और पशुपालन मंत्री, श्रीमती गीता जीवन और श्री वी.के. जयकोड़ी, आयएएस, राज्य के विकलांग आयुक्त, तमिलनाडु सरकार शामिल थे।




प्रादेशिक खेल उद्घाटन के समय बहुविकलांग बच्चों से साथ
एकत्रित माननिय राज्य मंत्री श्रीमती सुब्बलक्ष्मी जगदिशन

आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और पांडीचेरी से 36 संगठनों के 342 बहुविकलांग व्यक्ति ने भाग लिया, सहायता से चलना, दौड़, सॉफ्ट बॉल फेंक, बॉल मारना, बॉल घुमाना, खड़ी लम्बी कूद, बोसे (व्यक्तिगत और सामूहिक) आदि कुल 225 खेलों का संचालन हुआ। सभी प्रकारों की श्रेणियाँ क्षमता और आयु के अनुरूप बनाई। 6 जुलाई 2008 के दिन मुख्य अतिथि श्री सी. श्रीधर, आय.पी.एस. सहा. पुलिस आयुक्त, अडीयार, चेन्नई की उपस्थिति में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ।

7.2 आंतरराष्ट्रीय विकलांगता दिवस समारोह

NIEPMD ने 3 दिसम्बर 2008 को आंतरराष्ट्रीय विकलांगता दिवस समारोह मनाया। विकलांगता दिन के अपलक्ष पर विविध सांस्कृत कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें विशेष छात्रों, अध्यापकों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर सहायक उपकरण एवं वृक्षारोपण किया गया।



आंतरराष्ट्रीय विकलांगता दिवस के उत्सव में बहुविकलांग बच्चों ने इच्छा के अनुरूप प्रदर्शन किया।

आयोजन के दौरान चिकित्सा व्यवसायिक अपोलो अस्पताल चेन्नई ने कि NIEPMD पर बहुविकलांग व्यक्तियों को हृदय से संबंधि मरिजों को चिकित्सा मदत की।

7.3 बहुविकलांगता व्यक्तियों के लिए साझेदारी और देखभाल पर गैर सरकारी संस्थान की गोष्ठी:

7 जनवरी 2009 को ICOSA जीवन हॉल चेन्नई में "बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए साझेदारी और देखभाल" पर गैर सरकारी संस्थान गोष्ठी का आयोजन NIEPMD ने किया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष तिरु एन. मुरुगनांदम, आय.ए.एस., प्रोजेक्ट डायरेक्टर, वझन्दु कट्टवम प्रोजेक्ट, तमिलनाडु सरकार थे। और मुख्य अतिथि श्रीमती मिनाक्षी राजगोपाल, आ.ए.एस. विकलांगों के राज्य आयुक्त, तमिलनाडु सरकार थे। डॉ. कृष्णा चन्द्रा, रोजगार उपनिदेशक, व्यावसायिक पुर्नवास केन्द्र (कर्मिक और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) गिंडी, विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे।



राज्य गै.स. संगठन सम्मेलन के दौरान (बाये ओर से) डॉ. कृष्णाचन्द्र, रोजगार उप निदेशक, व्यवसाय पुर्नवास केन्द्र, चेन्नई, श्रीमती मिनाक्षी राजगोपालन, विकलांग के राज्य आयुक्त, तमिलनाडु, श्री मुरुगनथन, प्रोजेक्ट निदेशक, तमिलनाडु और डॉ. निरश्रा चंद्रमोहन, निदेशक, NIEPMD

45 गैर सरकारी संगठनों से 62 प्रतिभागियों ने तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से से भाग लिया। मिलन के उद्देश्य निम्न प्रकार:

- ❖ बहुविकलांग के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं की संख्या की जानकारी संग्रह करना एवं उनका प्रचार करना।
- ❖ बहुविकलांग व्यक्तियों के लिए कार्य करने के लिए व्यावसायिकों को अनुभव और इच्छाओं को बाँटने के लिए मंच तैयार करना।
- ❖ तमिलनाडु राज्य में बहुविकलांग व्यक्तियों के लिए प्रबल सेवाओं का प्रदत्त संग्रह करना।
- ❖ बहुविकलांग बच्चों के अभिभावकों के लिए निर्देशिका का विकास करना।
- ❖ नविन उपागमों के संबंध में सीखना और उसके उपयोगों को लागू करना।
- ❖ बहुविकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सेवाओं की पूर्ति गैर सरकारी संस्थान और सरकारी संस्थान एक-दूसरे की पूरक और सहायक बनकर कर सकते हैं।

7.4 बधिरांधता पर राष्ट्रीय सम्मेलन:

NIEPMD और सेन्स अंतरराष्ट्रीय (भारत) ने मिलकर "बधिर-अंधत्व" पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 15 से 17 जनवरी 2009 तक डिफेन्स स्टडीज अण्ड आनलसिस कॉम्प्लेक्स संस्थान, नई दिल्ली में किया। इस सम्मेलन का निधि युरोपियन यूनियन (यु.के.) और पुनर्वास परिषद भारत (RCI) नई दिल्ली और अंधों का पेरकिन्स स्कूल (यु.एस.ए.) की सहायता से जमा किया। "प्रथक से मिलकर" यह सम्मेलन का विषय था। उद्घाटन 15 जनवरी 2009 को डॉ. निरधा चन्द्रमोहन, निदेशक, NIEPMD के उद्घाटन भाषण से हुआ। और मुख्य सूचनाएँ मि. रॉडने क्लर्क यूरोपियन आयोग ने दी। उस अवसर पर आर.सी.आई. चेयरमैन जन. इयान कारडोजो और डॉ. ए.के. मीत्तल, पूर्व निदेशक, एन.आई.वी.एच. उपस्थित थे।



दायें से श्रीमती पूनम नटराजन, चेयर पर्सन, राष्ट्रीय न्यास, डॉ. नीरदा चन्द्रमोहन, निर्देशक, NIEPMD, श्रीमती नंदिनी रावल, बलाइन्ड पीपल्स असोसियेशन, अहमदाबाद, श्री उत्तम कुमार, सेन्स इंटरनेशनल, बधिरांधता पर राष्ट्रीय सम्मेलन के तकनीकी सेशन में भाग लेते हुए।

योजना और स्रोत संसाधन जुटाव के योजना सत्र की अध्यक्ष डॉ. निरदा चन्द्रमोहन, निदेशक, NIEPMD थी। NIEPMD की ओर से दो पेपर प्रस्तुत किये। (1) बधिरांधता की विद्यमान परिस्थितियाँ मि. राजेश रामचन्द्रन और डॉ. के. बाला भास्कर, (2) बधिरांधता व्यक्ति का निर्धारण डॉ. जे. विजयलक्ष्मी द्वारा प्रस्तुत। मि. स्टॉलीन और मिस. आई.जी. अनुसुया द्वारा दो चित्र प्रदर्शित करके भेंट दिये। देश के विभिन्न भागों से 266 भाग लेनेवालों में व्यावसायिक, अभिभावक, छात्र आदि सम्मेलन में उपस्थित थे। 20 नियोजन सत्र, 18 कार्य योजना सत्र और 7 चित्र सत्र-तीन दिन के कार्यक्रम में चलाए गए। 17 जनवरी 2009 को समापन समारोह के सुभ अवसरपर डॉ. जे.पी. सिंह, सदस्य सचिव, आ सी आई और श्रीमती पूनम नटराजन, चेयमैन, नेशनल ट्रस्ट उपस्थित रहे।

7.5 पत्थर रखने का बुनियादी कार्यक्रम:

NIEPMD के भवन का पत्थर रखने का बुनियादी कार्यक्रम 28 फरवरी 2009 को NIEPMD परिसर चेन्नई में रखा गया। माननिय केन्द्रीय मंत्री श्रीमती मीरा कुमार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने NIEPMD के नये भवन निर्माण का बुनियाद पत्थर रखा। इस अवसर पर माननिय राज्यमंत्री श्रीमती सुब्बलक्ष्मी जगदीशन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार उपस्थित रहे।



वायें से श्री नंबी राजन, डी.आर.ओ., काँचीपुरम, कुमारी आनंदन, पूर्व अध्यक्ष, पी.सी.सी, श्रीमती मीनाक्षी राजगोपाल, आयुक्त, विकलांग व्यक्ति हेतु, आदरणीय केन्द्र मंत्री, श्रीमति मीरा कुमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, आदरणीय राज्य मंत्री, श्रीमती सुब्बलक्ष्मी जगदीशन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, श्री डी. मूर्ति, एम.एल.ए., तिरुपूर, श्रीमती संगीता गोईराला, अतिरिक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, डी. नीरदा चन्द्रमोहन, निर्देशक, NIEPMD एवं डॉ. टामी, विभागाध्यक्ष, पी.एम.आर., NIEPMD, NIEPMD के शीलान्यास कार्यक्रम में भाग लेते हुए।



नया-भवन का नमुना चित्र

अगर एक साल के लिए योजना बना रहे हो-तो चावल बोओ
अगर एक दशक के लिए योजना बना रहे हो-तो पेड़ लगाओ
अगर जीवन पर्यान्त योजना बना रहे हो - एक व्यक्ति को शिक्षा दो।

चीनी कहावत



अध्याय 8

अन्य कार्यक्रम

8.1 बाह्य (बाहरी) संगठनों द्वारा आयोजित सचेतना कार्यक्रम और प्रदर्शनी में NIEPMD का सहभाग:



धर्मपुरी, तमिलनाडु में भारत निर्माण पब्लिक इनफॉर्मेशन NIEPMD की स्टॉल



MSJ & E, GOI जयपुर में विकलांग के लिए कल्याण योजना की सचेतना प्रदर्शनी के दौरान NIEPMD की छोटी दुकान पर विकलांगों को राज्य आयुक्त, राजस्थान

तालिक : 7 प्रदर्शनी और सचेतना कार्यक्रम में NIEPMD का सहभाग

अ.सं.	कार्यक्रम
01	18 से 20 जुलाई 2008 तक भोपाल में NBCFDC विकलांग शिविर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा योजना और कार्यक्रम के अभियान में आयोजित प्रदर्शन और सचेतना कार्यक्रम में NIEPMD ने हिस्सा लिया।
02	24 से 28 जुलाई 2008 तक प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो, चेन्नई धर्मपुरी जिला तमिलनाडु द्वारा आयोजित भारत निर्माण पब्लिक इनफॉर्मेशन अभियान में NIEPMD का सहयोग रहा।
03	27 से 29 अगस्त 2008 तक NHFDC वल्लुवरकोट्टम, चेन्नई पर विकलांग के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित कल्याण योजना सचेतना प्रदर्शन में NIEPMD की स्टॉल।
04	5 से 7 सितम्बर 2008 तक NHFDC द्वारा जयपुर में, विकलांग के लिए कल्याण योजना और कार्यक्रम के सचेतना अभियान में भागीदारी।
05	12 से 15 अक्टूबर 2008 तक NSFDC द्वारा खारघर, बिहार में आयोजित विकलांग व्यक्ति के लिए योजना और कार्यक्रम पर सचेतना अभियान प्रदर्शनी में भाग लिया।
06	12 से 15 जनवरी 2009 तक राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी फायनान्स और डेवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा भमुआ, जिला कामूर, बिहार में आयोजित योजना और कार्यक्रम और विकलांगता पर सचेतना अभियान प्रदर्शनी में सहभाग लिया।
07	30 जनवरी से 2 फरवरी 2009 तक मोहनिया, खाइमूर जिला, बिहार में राष्ट्रीय पिछड़ी जाती फायनान्स और डेवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा आयोजित योजना और विकलांगता को लाभ पर सचेतना प्रदर्शनी में NIEPMD ने सहभाग लिया।

अध्याय 9

प्रशासन

9.1 कर्मचारीगण :

2008-09 के समय मंजूर नियमित पद और भरे गये पदों का वर्णन निम्न प्रकार से:

मंजूर पदों की कुल संख्या	:	71 पद
दशा-I में निर्मित पद संख्या	:	32 पद
समूह-ए	=	01
निदेशक	=	01
उप कुलसचिव (प्रशा.)	=	06
असोशिएट प्रोफेसर	=	01
लेखा अधिकारी	=	06
प्रवक्ता	=	01
सूचना और जनसंचार अधिकारी	=	01
समूह-बी	=	06
पुनर्वास अधिकारी	=	06
प्रोग्रॅम सहायक	=	04
विशेष शिक्षा अध्यापक	=	01
कुल	=	32 पद

9.1.1 दशा-I में और खाली पदों का वर्णन (31 मार्च 2009 तक)

क्र.सं.	पद का नाम	मंजूर	हेल्ड	खाली
1.	निदेशक	01	01	00
2.	उप कुलसचिव (प्रशा.)	01	00	01
3.	असोशिएट प्रोफेसर	06	04	02
4.	लेखा अधिकारी	01	01	00
5.	प्रवक्ता	06	06	00
6.	सूचना और जनसंचार अधिकारी	01	01	00
7.	पुनर्वास अधिकारी	06	06	00
8.	प्रोग्रॅम सहायक	06	06	00
9.	विशेष शिक्षा अध्यापक	04	04	00
	कुल	32	29	03

समूह-D का एक पद (सहायक) इनका तबदला इसी पद पर एन आई एच एच, मुंबई से हुआ।

9.1.2 2008-09 के दौरान भरे हुए नियमित पदों का वर्णन (मार्च 2009 तक)

क्र.सं.	नाम	नियुक्त पद	NIEPMD पर कार्यभार ग्रहण की तिथि
1.	श्री के. श्रीनिवासन बाबु	प्रोग्राम सहायक केश और बिल	01.08.2008
2.	श्रीमती बी. लीलावती	प्रवक्ता (विशेष शिक्षा)	12.01.2009

9.2 भवन:

NIEPMD के कार्यक्रम में विद्यमान भवन मापन 1692.58 वर्ग मीटर और 12,463.56 वर्ग मीटर के प्रस्तावित भावन में निम्न अपेक्षित व्यवस्थाओं का वर्णन है।

विद्यमान भवन		प्रस्तावित भवन	
सेवा ब्लॉक	895.33 वर्ग मीटर	कार्यक्रम और प्रशासन ब्लॉक	6770.99 वर्ग मीटर
पी & ओ एवं एआईएल ब्लॉक	149.34 वर्ग मीटर	विशेष शिक्षा केन्द्र	1061.00 वर्ग मीटर
कॉटेजस्	283.83+244.03 वर्ग मीटर	अतिथि गृह	617.32 वर्ग मीटर
टॉयलेट ब्लॉक	120.052 वर्ग मीटर	—	925.03 वर्ग मीटर
		महिलाओं का वस्तीगृह	1441.67 वर्ग मीटर
		किचन और डायनिंग हॉल	354.00 वर्ग मीटर
		टाईप V गृह	205.69 वर्ग मीटर
		टाईप III & IV गृह	1087.86 वर्ग मीटर
कुल	1692.58 वर्ग मीटर		12.463.56 वर्ग मीटर

9.3 पुस्तकालय:

NIEPMD पुस्तकालय में आधुनिक संग्रह ज्ञान संसाधन और आधुनिक नये विचार सेवा एक मुख्य अद निभारध है शिक्षक, और छात्रों के लिए और निकटवर्ती समुदाय उनके व्यक्तिगत रूप में। किताबों को संदर्भ के लिए न सिर्फ प्रयोग कर, पुस्तकालय में, सदस्यता और परिपत्र भेजने के लि, दस्तावेज़ भेजना, संसाधन बॉटना और सूचना सेवाएँ सम्मिलित हैं। पुस्तकालय संग्रह में किताबें जैसे दैनिकी, शोध प्रबंध, प्रतिवेदन, चौपन्ना और अन्य पढ़ने की किताबें। वर्ष 2008-09 मे नयी किताबें और दैनिकी पुस्तकालय मे जोड़े गये उनकी संख्या 271 और 18 हैं। इसी साल में 249 समाचार पत्र कतरन भी जोड़े गये। 2009 मार्च तक कुल पुस्तकें व दैनिकी निम्नलिखित हैं:-

क्रम संख्या	संग्रह	2007-08 (मार्च 2008 तक)	2008-09 (मार्च 2009 तक)
1.	किताबें	454	725
2.	दैनिकी	03	21
3.	समाचार पत्र कतरन	358	607

इसी वर्ष, 3 पत्रिका और 9 समाचार पत्रों को अनुदान मिला। विस्तारित विज्ञापन के लिए “यमपॉवर” पहला समाचार-पत्र NIEPMD के संपादन और विज्ञापन दिए गए।

9.4 सूचना अधिनियम अधिकार का कार्यान्वयन:

सूचना का अधिकार भारत के विधिशास्त्र में ज़्यादातर बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को विकसित किया गया है। सूचना के अधिकार की पहल सबसे पहले उन समूह व समुदायों से हुए है जिन्होंने सरकार और उसके अभिकरणों और विभागों से उनके कार्यक्रमों के बारे में बताना वह भी विशेषतः निजी अनुदानों व निजी मालों के प्रयोग व वितरण के बारे में।

इस साल, RTI अधिनियम 2005 के अंतर्गत, संस्था ने 16 आवेदन पत्र प्राप्त किये जो सूचना चाहते थे विभिन्न कार्यक्रमों और सेवाओं से संबंधित योजनाओं, भर्ती, आय-दर और मानव संसाधन विकास पर। सभी शंकायें दूर कि गई और उत्तर आवेदकों को भेजी गई।

9.5 राजभाषा का कार्यान्वयन:

यह संस्थान वार्षिक कार्यक्रम में बताए गए लक्ष्यों को पाने के लिए काम कर रही है, 2007-08 में गृह मंत्रालय के कार्यों के (भारत सरकार) ताकि राजभाषा कार्य वह भी संघ का हिन्दी में हो। RTI के आवेदन पत्र जो हिन्दी में थे उनका जवाब हिन्दी ही में दिया गया। संस्थान की मासिक प्रतिपादन पत्र हिन्दी में ही भेजी गई और प्रश्न-पत्र जो विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित हैं उन्हें द्विभाषा में तैयार की गई और छात्रों को हिन्दी में परीक्षा लिखने की अनुमति दी गई। हिन्दी में पत्राचार जो 2008-09 में किया गया उसका सविस्तार विवरण निम्नलिखित है-

हिन्दी में प्राप्त पत्रों की संख्या	:	07
हिन्दी में तैयार व भेजी गई पत्रों की संख्या	:	16

9.6 भारत सरकार के द्वारा विभिन्न सरकारी आदेशों का कार्यान्वयन:

व्यय विभाग से प्राप्त पत्र के साथ जुड़ने के पश्चात् वित्त विभाग, भारत सरकार, ऊपर देखिए दिनांक 7 सितंबर 2007 विभिन्न मापनों को कार्यान्वित किया गया अतिरिक्त व अनावश्यक व्ययों में कटौती करने के लिए जो (अगर तो) संस्था के कुल कार्यों से संबंधित है तो।

गृहमंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशन के अनुसार 30 जनवरी हर साल शहीदों के दिवस के रूप में मनाया जाता है, उन लोगों की श्रद्धा में जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन को अर्पण किया। इसमें सम्मिलित होने के लिए सभी कार्यकर्ता और छात्र/प्रशिक्षणार्थी, उस विशेष तारीख को दो मिनट का मौन रखकर उन बलिदानियों की आत्मा को सम्मान देते हैं।

इस संस्था ने सद्भावना दिवस मनाया 20 अगस्त, 2008 को प्रण (शपथ लेते हुए) जो स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गाँधी के जन्मदिवस के रूप में मनाई जाती है। जिसके द्वारा राष्ट्रीय एकता एवं धार्मिक सद्भावना को बढ़ाने, पत्र प्राप्त युवा मंत्रालय भारत सरकार ऊपर देखिए O.M. दिनांक 11 जुलाई 2008 से जुड़ने के पश्चात्।

गृह मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार से अन्य सूचनाओं का प्रचलन 20 नवम्बर 2008 को कॉम्युनल हरमनी कॅम्पेन विक संस्थान के भाग के रूप में स्टॉफ और छात्र/प्रशिक्षणार्थी द्वारा एकता प्रतिज्ञा ली गई।



एक आदर्श लो. उसे अपने जीवन का आदर्श बनाओ; उस पर विचार करो, उस पर सपने देखो, उस आदर्श को जीवित रखो, उस आदर्श से आपके शरीर को मस्तिष्क, स्नायु, नसे हर एक भाग उत्तेजित होगा, उसी में जीवन मापन करो की सफलता का मार्ग हैं महान भावनाओं की प्राप्ति और उत्पादन का यही रास्ता है।

— स्वामी विवेकानंद

अध्याय 10

लेखापरीक्षा और वार्षिक लेखा

वर्ष 2008-09 का लेखा विवरण का सारांश

NIEPMD के योजना सहायता अनुदान, मुख्य खाते का विवरण

		करोड़ में रूप
1	वि/वर्ष 2007-08 का अंतिम शेष 0.50 करोड़ रुपये वि/वर्ष 2008-09 के लिए आदि शेष से रूप में लिये गये।	0.50
2	वर्ष 2008-09 के दौरान सहायता अनुदान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली से योजना घटक से अंतर्गत प्राप्त किया गया।	9.77
3	वर्ष 2008-09 को शिक्षा शुल्क, पंजीकरण शिल्क, अतिथि गृह खर्च और आवेदन शुल्क प्राप्त हुआ।	0.04
	कुल	10.31
4	घटाएँ: वर्ष 2008-09 को लौटानेवाले और न लौटानेवाले खर्च	
	वेतन	1.21
	प्रबंधन खर्च	0.48
	कार्यक्रम और सेवाएँ (HRD)	0.49
	पुंजीय अस्तियाँ	0.19
	<u>2.37</u>	
	शेष	7.94
5	घटाएँ: इंडियन बैंक में मियादी जमा, कोवलम ब्रांच, चेन्नई NIEPMD की स्थाई भवन के निर्माण के लिए	7.50
	31.03.09 को अंतिम शेष	0.44

प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए शिक्षा एक प्रमुख प्रबंध है।

— अरिस्टॉटल



NIEPMD के एडिय खाता : एडिय योजना सहायता अनुदान वर्णन

		करोड़ में रुपये
1	वि/वर्ष 2007-08 का अंतिम शेष 0.86 करोड़ रुपये वि/वर्ष 2008-09 के लिए आदि शेष से रूप में लिये गये।	0.86
2	वर्ष 2008-09 के दौरान एडिय योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली प्राप्त किया गया।	0.85
	25.04.08 – 0.38	
	24.12.08 – 0.14	
	18.02.09 – 0.33	
	0.85	
3	वर्ष 2008-09 के लिए बैंक जमा का ब्याज प्राप्त	0.02
	कुल	1.73
4	घटाएँ: वर्ष 2008-09 के लिए विज्ञापन, निर्धारण और वितरण की कीमत पर तौराने वाला खर्च	
	VI के लिए विज्ञापन और उपकरण 0.02	
	OH के लिए विज्ञापन और उपकरण 0.71	
	MR के लिए विज्ञापन और उपकरण 0.27	
	HH के लिए विज्ञापन और उपकरण 0.13	
	एडिय वितरण खर्च 0.03	
	1.16	1.16
	31.03.09 को अंतिम शेष	0.57

युवाओं की शिक्षा राज्य की बुनियाद है।

– डाय जिन्स लेरिटस्





सत्यमेव जयते

By **SPEED POST**

सीएबी/आई/28-055/2009-10/108

दिनांक : 13.10.2009

सेवा में

सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
कमरा नं.613-ए - विंग शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 116 001

महोदया,

विषय : राष्ट्रीय बहु विकलांग अधिकारिता संस्थान, मुट्टुकाडु, चेन्नै के
वर्ष 2008-09 के लेखों पर लेखा परीक्षा।

मैं राष्ट्रीय बहु विकलांग अधिकारिता संस्थान, मुट्टुकाडु, चेन्नै के वर्ष 2008-09 के वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित वर्ष 2008-09 के लेखों की विवरणी अग्रेषित करता हूँ।

कृपया इस कार्यालय को वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लेखों की संसद में प्रस्तुती की तिथियों को सूचित करें। वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए रिपोर्ट की पाँच प्रतियाँ संसद को प्रस्तुत किये गये अनुसार इस कार्यालय को भी भेजें।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय

हस्ताक्षर

उपमहा लेखाकार/आईएससी-II

जारी...

दूरभाष / Phone : 2431 6400, 2431 6401, 2431 6402
2431 6403, 2431 6404, 2431 6405
तार / Telegram : "AUDITONE" Chennai

फैक्स / Fax : 044-2433 0012
ई-मेल / E-mail : auditone@eth.net

पंजी. सं.: सीएबी/आई/28-055/2009-10/109

दिनांक : 13.10.2009

प्रमाणित लेखे की प्रति के साथ, लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन, राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, मुट्टुकाडु, चेन्नई को अग्रेषित किया गया है। उनकी विनंती के अनुसार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की 3 प्रतियाँ हिन्दी में और वार्षिक प्रतिवेदन की 3 प्रतियाँ जल्द सजायी गई।

उनकी यही भी विनंती थी कि, वर्ष 2007-08 और 2008-09 का लेखा संसद में जमा करने की तिथि से पहले सजाया जाय।

ह./-

उप महा लेखाकार/आईएससी-II

दिनांक, 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, मुट्टुकाडु, चेन्नै के लेखों पर भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय बहु विकलांग अधिकारिता संस्थान, मुट्टुकाडु, चेन्नै के 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लेखों के तुलन पत्र और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के (ड्यूटियाँ, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत आय तथा व्यय लेखे। प्राप्तियाँ और भुगतान लेकों की लेखा परीक्षा की है। हमें वर्ष 2010-11 तक की लेखा परीक्षा का कार्य सौंपा गया है। इन वित्तीय विवरणियों का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय प्रकट करना है।

2. इस अलग लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की, लेखा व्यवहारों तक वर्गीकरण, अनुरूपण और उत्तम लेखा नीतियों, लेखा मानकों और प्रकाट नियमों आदि पर टिप्पणियाँ करने तक है। विधि, नियमावली और विनियम (स्वामित्व और नियमितीकरण) और कुशलता सहित निष्पादन पक्षों आदि के वित्तीय लेनदेनों के संबंध में लेखा परीक्षा अवलोकन आदि की भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की निरीक्षण रिपोर्ट आदि के द्वारा अलग से यदि कोई हो तो रिपोर्ट की गयी।

3. हमने सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा-परीक्षा की है। इन मानकों की आवश्यकता है कि हमें लेखा परीक्षा के प्रति योजना बनाना और निष्पादन करना है ताकि हमें यह समुचित आश्वासन पाना है कि क्या वित्तीय विवरणियाँ दोषपूर्ण विवरणियों से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में लेखा मूल्यांकन के लिए उपयोग किये गये लेखा सिद्धांत और उल्लेखनीय अनुमान जो प्रबंधन द्वारा तैयार किये गये हैं, और साथ ही साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र मूल्यांकन में राशियों का समर्थन करते साक्ष्य मौजूद हैं। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए समुचित आधार प्रस्तुत करती है:

4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- i) हमने अपनी लेखा परीक्षा के लिए और हमारी जानकारी तथा विश्वास के लिए आवश्यक सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।
- ii) तुलन पत्र और आय तथा व्यय लेखा। प्राप्तियाँ और भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित लिये गये प्रारूप में तैयार किये गये हैं:
- iii) हमारी राय में, राष्ट्रीय बहु विकलांग अधिकारिता संस्थान, मुट्टुकाडु, चेन्नै ने संस्थान की नियमावली और विनियमों द्वारा जैसे कि लेखा बहियों के हमारे परीक्षण से पता चलता कि लेखों की उचित बहियों और संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण समुचित रूप से किया गया।
- iv) आगे हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

क. सामान्य

राष्ट्रीय बहु विकलांग अधिकारिता संस्थान, मुट्टुकाडु, चेन्नै के लेखे ड्राफ्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुच्छेद के आधार पर संशोधित किये गये और लेखों में संशोधन का परिणाम, परिशोधन निम्न प्रकार है:

– निवेश पर उपचित ब्याज लेखा जल्द नहीं किया गया –

रु.52.28 लाख

देयता का विवरण:

संस्थान ने वर्ष 2008-09 की लेखा फी की देनदारी उत्पन्न नहीं की है। इसी परिणाम से देयता का विवरण दिया गया।

ख. सहायता अनुदान:

वर्ष 2008-09 के दौरान संस्थान ने योजना के अंतर्गत 9.77 करोड़ रुपये और एडीप योजना के अंतर्गत 0.85 करोड़ रुपये प्राप्त किये।

वर्ष के दौरान प्राप्त 9.77 करोड़ रुपयों के सहायता अनुदान में से और गत वर्ष के खर्च में से बचे शेष 0.50 करोड़ रुपये और योजना से अंतर्गत 0.04 रुपये की अन्य प्राप्तियाँ, योजना के अंतर्गत संस्थान 2.37 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाया और पुँजीगत कार्य के लिए 7.50 करोड़ रुपये जमा किये गये। जिससे 31 मार्च 2009 तक उपयोग में नहीं लायी गयी राशी 0.44 रुपये शेष है। वर्ष के दौरान अनुदान में से 0.85 करोड़ रुपये एडीप योजना के अंतर्गत प्राप्त किये गये और गत वर्ष की नहीं खर्च की शेष 0.86 करोड़ रुपये और 0.02 रु. की अन्य प्राप्तियाँ, योजना के अंतर्गत संस्थान 1.16 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाया, जिससे 31 मार्च 2009 तक उपयोग में नहीं लायी गई राशी 0.57 करोड़ रुपये शेष है।

- v) पिछले अनुच्छेदों में हमारे अवलोकन पर रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा देखे गये तुलन पत्र और आय तथा व्यय लेखे, प्राप्ति और भुगतान लेखे लेका बहियों से मेल खाते हैं।
- vi) हमारी राय में और हमें दी गयी सूचना और दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त वित्तीय विवरणियों के साथ पढ़ी जानेवाली लेखा नीतियाँ और लेखों पर टिप्पणियाँ और उल्लेखनीय मामलों की शर्त पर ऊपर बताये गये और अन्य मामले जिन्हें इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुबंधों के रूप में प्रस्तुत किया गया है सच्चा और निष्कलंक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं जो सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं:
- क) दिनांक : 31 मार्च, 2009 को राष्ट्रीय बहु विकलांग अधिकारिता संस्थान, मुट्टुकाडु, चेन्नै के व्यवहारों का तुलन पत्र के साथ जहाँ तक संबंध है; और
- ख) उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखे के अधिशेष का जहाँ तक संबंध है सच्चा और स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

कृते और भारत के महालेखा परीक्षक की ओर से

ह./-

प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा)

तमिलनाडु और पांडिचेरी

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 13.10.2009

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अलग अनुबंध

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता
संस्थान में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं है।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता
लेखों का कोडीकरण नहीं किया जाता।
3. नियत आस्तियों की भौतिक जाँच
निर्धारित नमूने में भौतिक संपत्ति अभिलेख का रखरखाव नहीं हुआ और भौतिक संपत्ति का सत्यापन नहीं किया गया।
4. सांविधिक बकायों के भुगतान में नियमितता
संस्थान, समुचित प्राधिकारियों के पास आयकर और सेवाकर जमा कराने में नियमित रहा है।

ह./-

वरिष्ठ लेखा परीक्षक अधिकारी

ग्राम: NIEPMD

टेलिफैक्स: 044-27472389

ई-मेल: niepmd@gmail.com

दूरभाष सं. 2747 2104, 2747 2113, 2747 2046

राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान (NIEPMD)

(सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

ईस्ट कोस्ट मार्ग, मुट्टुकाडु, कोवलम डाक, चेन्नई - 603 112

31.03.2009 के अनुसार वित्तीय विवरणी की सूची

अ.क्र.	तमशील	पृष्ठ सं.
1.	31.03.2009 को स्थित तुलन-पत्र	1
2.	31.03.2009 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय का लेखा	2
3.	31.03.2009 को समाप्त अवधि के लिए प्राप्ति और भुगतान का लेखा	3
4.	अनुसूची 1 ओर 2	4
5.	अनुसूची 3	5
6.	अनुसूची 4	6
7.	अनुसूची 5 ओर 6	7
8.	अनुसूची 7	8
9.	अनुसूची 8	9
10.	अनुसूची 9 ओर 10	10
11.	अनुसूची 11	11 - 12
12.	अनुसूची 12 ओर 13	13
13.	अनुसूची 14 ओर 15	14
14.	अनुसूची 16 ओर 17	15
15.	अनुसूची 18 ओर 19	16
16.	अनुसूची 20, 20-क ओर 20-ख	17
17.	अनुसूची 21	18
18.	अनुसूची 22 ओर 23	19
19.	अनुसूची 24	20 - 22
20.	अनुसूची 25	23
21.	अनुबंध I-IV	24 - 27

वित्तीय विवरणी का फार्म (गैर-लाभांश संगठन)

संस्थान का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, मुट्टुकाडु
31, मार्च, 2009 को स्थित तुलन-पत्र

(राशी रु..... में)

समग्र/पूँजी निधि और देयताएँ	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
समग्र/पूँजी निधि	1	218082344	150,768,696
आरक्षित और अधिशेष राशियाँ	2	0	0
निर्दिष्ट/धर्शदाय निधियाँ	3	0	0
प्रतिभूति सहित ऋण व उधार	4	0	0
अप्रतिभूति ऋण व उधार	5	0	0
अस्थगीत जमा देनदारियाँ	6	0	0
चालू देनदारियाँ और प्रवाधान	7	11947389	646,043
कुल		230,029,733	151,414,739
आस्तियाँ			
नियत आस्तियाँ	8	218082344	17,084,345
जोड़ें : पूर्वाधि समायोजन	9	0	0
निवेश : निर्दिष्ट धर्मादायी निधियाँ	10	0	0
निवेश-अन्य	11	0	134,330,394
चालू आस्तियाँ ऋण, अग्रिम आदि		0	
विविध व्यय		0	
बट्टे खाते या समायोजित न किये जाने की सीमा तक)		11947389	
कुल		230,029,733	151,414,739
उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	24		
फुटकर देनदारियाँ और लेखों पर टिप्पणियाँ	25		

वित्तीय विवरणीयों का फार्म (गैर-लाभांश संगठन)
संस्थान का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, मुट्टुकाडु
31, मार्च, 2009 को समाप्त के लिए आय तथा व्यय का लेखा

(राशी रु..... में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
विक्रय/सेवाओं से प्राप्त आय	12	0	0
अनुदान/आर्थिक सहायता	13	103030750	47,273,684
शुल्क/बंदे	14	376950	183,365
निवेशों से आय (उद्दिष्ट/धर्मदाय निधियों के निवेश से प्राप्त आय निधियों का अंतरण)	15	0	0
रायल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	16	0	0
अर्जित आय	17	5740842	0
अन्य आय	18	50967	62,950
तैयार मालों और चालू कार्यों के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19	0	0
योग (रु.)		109,199,509	47,519,999
व्यय			
कार्यक्रमों और सेवाओं पर व्यय	20	4911064	2,351,866
स्थापना व्यय	20A	12103001	6,629,628
अन्य कार्यक्रम व्यय	20B	11639132	28,909,372
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	4839746	6,129,502
अनुदानों, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय	22	0	0
ब्याज	23	0	0
मूल्यहास (अनुसूची-8 के अनुरूप वर्षान्त में निवल योग)		1341903	1,121,806
योग (ख)		34,834,846	45,142,174
आय के ऊपर व्यय के आधिक्य का शेष, (क-ख)			
विशेष प्रादक्षित निधि (हरेक को) स्पष्ट रूप से बताएँ			
सामान्य प्रारक्षित निधि को/से अंतरण			
शेष राशि अधिशेष/(कम)		74,364,663	2,377,825
समूह/पूँजी विधि को ले जाया गया			
विशिष्ट लेखा नीतियाँ	24		
लेखों पर फुटकर देयताएँ और लेखों पर फुटकर देगदायियाँ	25		

प्रो.स. (लेखे)

लेखा अधिकारी

निदेशक

वित्तीय बहु विकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, मुट्टुकाडु
वर्ष 2008-09 के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा



क्र.सं.	प्राप्त राशियाँ	2007-08	2008-09	क्र.सं.	भुगतान	2007-08	2008-09
1	आदि शेष			1	वेतन व मजदूरिया	6629628	12103001
2	रा.ब.नि.व्य.अ.स. मुख्य खाता	57636620	5053186	2	प्रशासनिक व्यय	3526241	4839746
3	रा.ब.नि.व्य.अ.स. योजनातंगत सहायता खाता		8662628	3	प्रोग्राम और सेवाओं पर व्यय	2351866	4911064
4	सहायता अनुदान (रा.ब.नि.व्य.अ.स. खाता)	25000000	97700000	4	एडीआईपी योजना पर व्यय	28909372	11639132
5	सहायता अनुदान (योजनातंगत खाता)	37572000	8462174	5	स्टॉफ को अदा किये गये ऋण व अग्रिम		
6	शिक्षण शुल्क	104000	117000		मोटर साइकिल अग्रिम	261000	240000
7	परीक्षा शुल्क	0	83200		संगमक अग्रिम	60000	180000
8	दान	0	3231		त्योहार अग्रिम	7500	3000
9	समाचार पत्र विक्रम	555	1551		एलटीसी अग्रिम	10000	0
10	ऋण एवं अग्रिम वसुली				फुटकर लेखा	0	55000
11	अग्रिम मार्ग व्यय	16,000	0		जमानती लेखा	10000	0
12	बाढ अग्रिम	0	2200		यात्रा भत्ता अग्रिम	8000	0
13	डॉ. विजयलक्ष्मी तात्कालीक अग्रिम	28,500	0		पूजी खंड (नियत आस्तियाँ)	3832437	1930871
14	मोटर सायकल अग्रिम	25,800	100100		सीपीडब्ल्यूडी की ओर से अग्रिम	1299400	0
15	संगमक अग्रिम	6,000	47500		सीआरसी भोपाल से प्राप्तियाँ	0	74823
16	स्थानिय यात्रा मुआवजा अग्रिम	0	10000		बैंक में नकदी		
17	त्योहार अग्रिम	3,600	4200		इंडियन बैंक में भीयादी जमा	60000000	75000000
18	सी पी डब्ल्यू डी से अग्रिम प्राप्ति/वापसी	0	98847		इंडियन बैंक में बचत खाता	5053186	4446154
19	रददी का विक्रम	54200	0		एडीआईपी योजना बचत बैंक-खाता	8662628	5736285
20	पंजीकरण एवं आवेदन शुल्क	79365	169000		नया सेवानिवृत्ति वेतन - आरआईपी जमा और आरडी खाता	571220	1030630
21	अध्ययन सामग्री/निविदा पत्र विक्रम	2370	3600		एनआईपीएमडी - जीपी बचत बैंक - खाता	0	75856
22	अतिथि ग्रह प्राप्तियाँ	5825	23160				
23	आर आर सी भोपाल से प्राप्तियाँ	74823	0				
24	प्रशिक्षण शुल्क	0	7750				
25	सुरक्षित देव	0	55600				
26	सेवा प्रोजेक्ट	0	31644				
27	बचत खाता का ब्याज - मुख्य खाता	0	259065				
28	बचत खाता का ब्याज - ए डी आई पी खाता	0	250615				
29	ऋण पर ब्याज	0	2800				
30	एन पी एस हिस्सेदी की प्राप्तियाँ	571220	1030630				
31	एस एच श्रीनिवास बाबु पी.ए. का फुटकर खाता	0	10000				
33	जी वी एफ की प्राप्तियाँ	0	75856				
34	एनआईएमएच से कोर्स शुल्क और त्योहार अग्रिम	11,600	0				
35	वस्तीगृह रखरखाव खर्च	0	19425				
	कुल	121192478	122284962		कुल	121192478	122284962

वित्तीय विवरणी (गेर-लाभांश संगठन) का फार्म
संस्थान का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलौंग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, मुट्टुकाडु
31, मार्च, 2008 को स्थित तुलन-पत्र के अंगरूप अनुसूचियों

(राशी रु..... में)

अनुसूचि-1 समूह/पूँजी निधि	चालू वर्ष	गत वर्ष
वर्ष के आरंभ में शेष राशी	150768696	133,092,555
जोड : समूह/पूँजी निधि में योगदान	150768696	133,092,555
घटाएँ : गत वर्ष के अनुदानों का समायोजन क्यों कि अनुसूचि-8 से नियत आस्तियाँ हटा दी गयी (अनय संगठनों का अंतरण)	150768696	0
जोडे : पूँजीगत व्यय, आस्तियों की खरीद के लिए	3131424	133,092,555
जोडे/(घटाएँ) : आय तथा व्यय लेखे (जोडे) से अंतरित आय तथा व्यय शेष राशी	74364663	15,298,316
घटाएँ : एनआईपीएमडी के मुख्य खाते में 31.3.2009 के अनुसार अनुपस्थित अनुदान वकाया = 4446154	-10182439	2,377,825
घटाएँ : एनआईपीएमडी एडीआईपी खाते में 31.3.2009 ने अनुसार अनुपस्थित अनुदान वकाया = 5736285		
वर्ष के अंत में शेष राशि की स्थिति	218,082,344	150,768,696

अनुसूचि-2 प्रारक्षित और अधिशेष राशियाँ

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. प्रारक्षित पूँजी राशी		
वर्ष के दौरान जोड़ी गयी अतिरिक्त घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0	0
2. पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित राशि:		
गत वर्ष के लेखे के अनुसार वर्ष के दौरान जोडे गये घटाएँ : वर्ष के दौरान कलौतियाँ	0	0
3. विशेष प्रारक्षित राशि:		
गत वर्ष के लेखे के अनुसार वर्ष के दौरान जोडे गये घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौतियाँ	103030750	0
4. सामान्य प्रारक्षित राशि:		
गत वर्ष के लेखे के अनुसार वर्ष के दौरान जोडे गये घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0	0
कुल	शून्य	शून्य

वित्तीय विवरणी (गैर-लाभांश संगठन) का फार्म
संस्थान का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, मुट्टुकाडु
अनुसूचि 3 - उद्दिष्ट धर्मदाय राशि

(राशि रु..... में)

अनुसूची-3 उद्दिष्ट / धर्मदाय निधियाँ	निधिवार विघटन				कुल	
	निधि	निधि	निधि	निधि	चालू वर्ष	गत वर्ष
क. निधियों का आदिशेष ख. निधियों में अतिरिक्त राशियाँ i. सहायता अनुदान ii. निधियों के खाते में से किये गये निवेशों पर आय iii. अन्य अतिरिक्तियाँ (प्रकृति स्पष्ट करें) (शिक्षण शुल्क, अतिथि गृह प्राप्तियाँ, अग्रिमों की वसूलियाँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
कुल (क+ख)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. निधियों के उद्देश्यों पर निधियों की उपयोगिता/व्यय i. <u>पूँजी व्यय</u> - नियत आस्तियाँ - अन्य कुल ii. <u>राजस्व व्यय</u> - वेतन, मजदुरियाँ और भत्ते आदि - भाडा - अन्य प्रशासनिकव्यय कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
कुल (ग)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत में कुल शेष राशि (क+ख-ग)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणियाँ:

- 1) अनुदानों से संबद्ध शर्तों के आधार पर संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्रकटन किये जाने चाहिए।
- 2) केन्द्र/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को अलग विधियों के रूप में बताया जाए और किन्हीं अन्य निधियों के साथ मिलाया न जाए।

वित्तीय विवरणी (गैर-लाभांश संगठन) का फार्म
संस्थान का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, मुट्टुकाडु
31, मार्च, 2008 को स्थित तुलन-पत्र के अंगरूप अनुसूचियाँ

(राशी रु..... में)

अनुसूचि-4 सुरक्षित ऋण और उधार राशियाँ	चालू वर्ष		गत वर्ष	
1. केन्द्र सरकार		0	0	0
2. राज्य सरकार (ब्यौरेवार उल्लेख करें)		0	0	0
3. वित्तीय संस्थान				
क) शर्त आधारित ऋण			0	0
ख) उपचित ब्याज और देय राशियाँ			0	0
4. बैंक:				
क) शर्त आधारित ऋण			0	0
- उपचित ब्याज और देय राशियाँ			0	0
ख) अन्य ऋण (ब्यौरेवार उल्लेख करें)			0	0
- उपचित ब्याज और देय राशियाँ			0	0
5. अन्य संस्थान और एजेंसियाँ			0	0
6. डिबेंचर और करार पत्र			0	0
7. अन्य (ब्यौरेवार उल्लेख करें)			0	0
योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
टिप्पणी : एक वर्ष के भीतर देय राशियाँ				

वित्तीय विवरणी (गैर-लाभांश संगठन) का फार्म

संस्थान का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलॉग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, मुट्टुकाडु

31, मार्च, 2009 को स्थित तुलन-पत्र के अंगरूप अनुसूचियों

(राशि रु..... में)

अनुसूचि-5 प्रतिभूति रहित ऋण और उधार राशियाँ	घातू वर्ष	गत वर्ष
1. केन्द्र सरकार	0	0
2. राज्य सरकार (ब्यौरेवार उल्लेख करें)	0	0
3. वित्तीय संस्थान	0	0
4. बैंक :		
क) शर्त आधारित ऋण	0	0
ख) अन्य	0	0
5. अन्य संस्थान और अधिकरण एजेसियों	0	0
6. डिवेचर (रोखे) और करार पत्र	0	0
7. नियम आस्तियाँ	0	0
8. अन्य (ब्यौरेवार उल्लेख करें)	0	0
कुल	शून्य	शून्य
टिप्पणी : एक वर्ष के भीतर देय राशियाँ		

अनुसूचि-6 स्वधि देनदारी व्यय	घातू वर्ष	गत वर्ष
क) पूँजीगत उपकरण और अन्य आस्तियों के तारण द्वारा प्राप्त स्वीकृतियाँ	0	0
ख) अन्य	0	0
कुल	शून्य	शून्य
टिप्पणी : एक वर्ष के भीतर देय राशियाँ		

वित्तीय विवरणी (गैर-लाभांश संगठन) का फार्म

संस्थान का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति अधिकांशिता संस्थान, मुट्टुकाडु, चेन्नै

31, मार्च, 2009 को स्थित तुलन-पत्र के अंगरूप अनुसूचियों (राशि रु..... में)

अनुसूचि - 7 चालू देयताएँ और प्रावधान	चालू वर्ष		गत वर्ष
	55,600	55,600	0
क) चालू देयताएँ			
1. स्वीकार्यताएँ			
2. फुटकर लेनदार			
क) मालों के लिए			
ख) अन्य (जमावती धन जमा है)			
3. प्राप्त अग्रिम राशियाँ			
4. उपचित ब्याज पर देय नहीं			
क) सुरक्षित ऋण/उधार			
ख) असुरक्षित ऋण/उधार			
5. सांविधिक देयताएँ			
क) अतिदेय			
ख) अन्य : नयी पेंशन योगदान			
c) Unspent grant-balance as on 31-03-2009 in NIEPMD Main a/c	1,601,850	1,601,850	571,220
d) Unspent grant-balance as on 31-03-2009 in NIEPMD ADIP a/c	4,446,154		
6. अन्य चालू देयताएँ (जी पी एक (एस) और (ए) की प्राप्ति	5,736,285	10,182,439	74,823
7. सेवा ग्राजुइटी/उपदान	75,856	75,856	74,823
	31,644	31,644	0
कुल (क)	11,947,389	11,947,389	646,043
ख) प्रावधान			
1. कराधान के लिए	0	0	0
2. उपदान	0	0	0
3. अधिवर्षिता/पेंशन	0	0	0
4. संचित छुट्टी, नकदीकरण	0	0	0
5. व्यापार वारंटियाँ / दावे	0	0	0
6. अन्य (ब्यरेवार उल्लेख करें)	0	0	0
कुल ख	0	0	0
कुल (क + ख)	11,947,389	11,947,389	646,043

वित्तीय विवरणी (गैर-लाभांश संगठन) का फार्म
संस्थान का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, मुट्टुकाडु, चेन्नै
31, मार्च, 2009 को स्थित तुलन-पत्र के अंगरूप अनुसूचियाँ

(राशि रु..... में)

अनुसूची - 8 नियत आस्तियाँ वर्णन	सकल अवरुद्ध राशि				मूल्यहास				निवल ब्लाक	
	वर्ष के प्रारंभ की लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के लिए जोड़ी राशियाँ	वर्ष के लिए कटौतियाँ	वर्ष के अंत तक की लागत / मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ की स्थिति	2008-09 के लिए जोड़ी गयी राशियाँ	वर्ष के लिए कटौतियाँ	वर्ष के अंत तक का कुल	चालू वर्ष के अंत पर स्थिति	गत वर्ष के अंत पर स्थिति
1	2	3	4	5 (2+3-4)	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5-9)	11
क. नियत आस्तियाँ										
1. भूमि										
ख) पट्टे पर ली गयी	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. भवन										
क) मुफ्त में मिली भूमि	11465879	1439299	0	12905178	229318	241172	0	470490	12434688	11236561
ख) पट्टे पर ली गयी भूमि	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट्स/हस्ती की मिल्कियत के भावन	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. संयंत्र व मशीनरी और उपकरण										
4. वाहन	2407095	563540	0	2970635	241138	237645	0	478783	2491852	2165957
5. फर्नीचर / जुड़नार	1180263	0	0	1180263	55433	168725	0	224158	956105	1124830
6. कार्यालय उपकरण	1776864	273191	--	2050055	268299	174302	0	442601	1607454	1508565
7. कंप्यूटर	611732	255888	--	867620	70027	67125	0	137152	730468	541705
8. विद्युत संस्थापनाएँ	647089	290050	--	937139	140362	143478	0	283840	653299	506727
9. पुस्तकालय की पुस्तकें	965050	309456	0	1274506	965050	309456	0	1274506	0	0
10. ट्यूबेल्स और जाल आपूर्ति										
11. अन्य निय आस्तियाँ										
चालू वर्ष का कुल	19053972	3131424	0	22185396	1969627	1341903	0	3311530	18873866	17084345
गत वर्ष	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ख) पूँजीगत चालू कार्य										
टिप्पणी : वर्ष 2004-05 के दौरान कोई भी आस्तियाँ अंतरित या प्राप्त नहीं की गयी।										
कुल										
(टिप्पणी दी जाए कि आस्तियों की लागत भाड़े पर ऊपर में सम्मिलित)										

वित्तीय विवरणी (गैर-लाभांश संगठन) का फार्म
 संस्थान का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, मुट्टुकाडु
 31, मार्च, 2009 को स्थित तुलन-पत्र के अंगरूप अनुसूचियों
 (राशि रु..... में)

अनुसूचि - 9 उद्दिष्ट/धर्मदाय निधियों से निवेश	चालू वर्ष	गत वर्ष
सरकारी प्रतिभूतियों में अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में शेयरों में डिबेंचर (रोखे) और बंध पत्र नियंत्रित व्यवसाय और संयुक्त कार्य अन्य (विशिष्ट तथा बताएँ)		
कुल	शून्य	शून्य

अनुसूचि-10 निवेश अन्य	चालू वर्ष	गत वर्ष
सरकारी प्रतिभूतियों में अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में शेयरों में डिबेंचर और बंध पत्र नियंत्रित व्यवसाय और संयुक्त कार्य अन्य (विशिष्टतया बताएँ)		
कुल	शून्य	शून्य

वित्तीय विवरणी (गैर-लाभांश संगठन) का फार्म

संस्थान का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, मुट्टुकाडु

31, मार्च, 2009 को स्थित तुलन-पत्र के अंगरूप अनुसूचियों

(राशि रु..... में)

अनुसूचि-11 चालू आस्तियाँ, ऋण व अग्रिम राशियाँ आदि	चालू वर्ष	गत वर्ष
क. चालू आस्तियाँ		
1. माल सूचियाँ :		
क) भंडार व अतिरिक्त पुर्जे	0	0
ख) खुले औजार	0	0
ग) व्यापार में लगा स्टॉक		
तैयार माल		
चालू कार्य		
कच्ची सामग्रियाँ		
2. फुटकर देनदारियाँ :		
क) छ महीनों से अधिक अवधि से रुकी पड़ी बकाये	0	0
ख) अन्य	0	0
3. नकदी शेष (चेकों/ड्राफ्टों और फुटकर धन)	0	10,000
4. बैंक में शेष :		
क) अनुसूचित बैंक		0
चालू खातों में		0
जमा खातों में (लाभ जमा) इंडियन बैंक में जमा	13500000	60,000,000
इंडियन बैंक के बचत खाते में (मुख्य खाते में)	4446154	5,053,186
इंडियन बैंक के बचत खाते में (एडिप खाते में)	5736285	8,662,628
इंडियन बैंक के बच खाते में (खाते में)	75856	
आवर्ती जमा खाता - नया पेंशन योजना खाता	1601850	571220
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में	146860145	74,287,034
जमा चालू खाते में		
जमा खाते में (इसमें मार्जिन मनी शामिल है)		0
बचत खातों में		0
5. डाकघर - बचत खातों में		0
कुल (क)	146860145	74,297,034

वित्तीय विवरणी (गैर-लाभांश संगठन) का फार्म
संस्थान का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, मुट्टुकाडु
31, मार्च, 2009 को स्थित तुलन-पत्र के अंगरूप अनुसूचियों
 (राशि रु..... में)

अनुसूचि-11 चालू आस्तियों, ऋण व अग्रिम राशियाँ आदि		चालू वर्ष	गत वर्ष
ख. ऋण, अग्रिम राशियाँ और अन्य आस्तियाँ			
1. ऋण :			
क) कर्मचारी (मोयार सायकिल, संगलक, मात्रा भत्ता, खाद्य अग्रिम और त्योहार अग्रिम)	636500	636500	303,100
ख) हस्ती करने जैसे कार्यों को समान कार्यों को करने वाली अन्य हस्तियाँ			
ग) अन्य (विशिष्टतया बताएँ)			
2. नकद, वस्तु रूप में प्राप्त होने वाले मूल्य वसूली योग्य अग्रिम व अन्य :			
क) पूँजी खाते में (के साथ अग्रिम)	58430860	58430860	59,730,260
ख) पूर्व भुगताने			
ग) अन्य (कार्यक्रम के लिए अग्रिम राशियाँ)			0
3. उपचित आय :			
क) उद्दिष्ट/धर्मदाय निधियों से निवेश पर			
ख) निवेशों पर - अन्य			
ग) ऋणों और अग्रिम राशियों पर	5228362		0
घ) अन्य (वसूल नहीं की जा सकी रु... की राशि)			
4. वसूली योग्य दावे :			
कुल (ख)	64295722	59067360	60033360
कुल (क+ख)		211,155,867	134,330,394

वित्तीय विवरणी (गैर-लाभांश संगठन) का फार्म
संस्थान का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, मुद्दुकाडु
31, मार्च, 2009 को स्थित तुलन-पत्र के अंगरूप अनुसूचियों



(राशि रु..... में)

अनुसूचि-12 विक्रियों/सेवाओं से आय	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. विक्रियों से आय		
क) तैयार		
ख) कच्ची सामग्री का विक्रय		
ग) रद्दी मातों का विक्रय	0	0
2. सेवाओं से आय		
क) श्रमिक और संसाधन प्रभार		
ख) व्यावसायिक / परामर्शदात्री सेवाएँ		
ग) इंजंसी कमीशन और बट्टा		
घ) रखरखाव सेवाएँ (उपकरण/संपत्ति)		
ङ) अन्य (विशिष्टतया बताएँ)		
कुल	0	शून्य
अनुसूचि-13 अनुदान/आर्थिक सहायताएँ		
(प्राप्त अनुदान/परिदान राशियाँ)		
1. क) केन्द्र सरकार - NIFPMD - मुख्य खाता	97700000	25000000
ख) केन्द्र सरकार - NIFPMD -- AOIP खाता	8462174	37572000
2. राज्य सरकारों		
3. सरकारी एजेंसियों (संस्थाएँ)		
4. संस्थान/कल्याण कि निकायों		
5. अंतर-राष्ट्रीय संगठनों		
6. अन्य (विशिष्टतया बताएँ) घटनाएँ : वर्ष 2008-09 के लिए पूंजी व्यय	-3131424	-15,298,316
कुल	103,030,750	47,273,684

वित्तीय विवरणी (गैर-लाभांश संगठन) का फार्म

संस्थान का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, मुट्टुकाडु

31, मार्च, 2009 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय की अंगरूप अनुसूचियाँ (राशि रु..... में)

अनुसूचि-14 शुल्क/चन्दे		चालू वर्ष	गत वर्ष
1. संबन्धन शुल्क		0	0
2. पाठ्यक्रम शुल्क (डिप्लोमा, डिग्री, स्नातकोत्तर (पी.जी.) और प्रमाण पत्र) शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क		200200	104,000
3. प्रवेश शुल्क			
4. वार्षिक शुल्क/चन्दे		176750	79,365
5. संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क (आवेदन एवं-पंजीकरण शुल्क)			
6. इरामशदात्री शुल्क			
7. अन्य (विशिष्टतया बताएँ)			
कुल		376,950	183,365

टिप्पणी : प्रत्येक मद के संबंध में लेखा नीतियाँ प्रकट की जानी है।

अनुसूचि-15 निवेशों से आय (उद्दिष्ट/अर्मदाय निधियों से निधियों को अंतरित किये गये विदेशों पर आय)	उद्दिष्ट प्रायोजित निधि से निधि		अन्य निवेश	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
	1. ब्याज क) सरकारी प्रतिभूतियों पर ख) अन्य बैंध पत्रों/डिबेंचरों पर लाभांश			
2. लाभांश क) शेयरों पर ख) म्यूचुल निधि प्रतिभूतियों पर				
3. भाडे				
4. अन्य विशिष्टतया बताएँ				
कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उद्दिष्ट/धर्मदाय निधियों को अंतरित				

वित्तीय विवरणी (गैर-लाभांश संगठन) का फार्म

संस्थान का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलौंग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, मुट्टुकाडु

31, मार्च, 2009 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय की अंगरूप अनुसूचियाँ (रशि रु..... में)

अनुसूचि-16 प्रकाशनों, रायल्टी आदि से आय	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. रायल्टी से आय	0	0
2. प्रकाशनों से आय	0	0
3. अन्य (विशिष्टतया बताएँ)		
कुल		

अनुसूचि-17 अर्जित ब्याज	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. मीयादी जमा राशियों पर क) अनुसूचित बैंकों में ख) गैर अनुसूचित बैंकों में ग) संस्थाओं में घ) अन्य में	5228362	
2. बचत खातों पर क) अनुसूचित बैंकों में ख) गैर अनुसूचित बैंकों में ग) संस्थाओं में घ) अन्य में	259,065 250,615	0
3. ऋणों पर क) कर्मचारीगण/स्टाफ ख) अन्य	2,800 0 0	0 0
4. कर्जदारों और अन्य प्राप्त राशियों पर ब्याज		
कुल	5,740,842	0
टिप्पणी : स्रोत सी की गयी कर की कटौती सूचित की जानी चाहिए।		

वित्तीय विवरणी (गेर-लाभांश संगठन) का फार्म
संस्थान का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, मुट्टुकाडु
31, मार्च, 2009 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय की अंगस्वरूप अनुसूचियाँ

(राशि रु..... में)

अनुसूचि-18 अन्य आय	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. आस्तियों के विक्रय/निपटान से आय क) स्वामित्व वाली आस्तियाँ ख) अनुदानों या बिना लागत प्राप्त प्राप्त आस्तियों से	0 0	0 0
2. उगाहे गये प्रतिवाद प्रोत्साहन	50967	62,950
3. विविध सेवाओं के लिए फीस		
4. धन-वापसियाँ		
5. विविध आय		
कुल	50967	62,950

अनुसूचि-19 तैयार मालों और चालू कार्य के स्टॉकों में वृद्धि/(कमी)	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) अंतिम स्टॉक - तैयार माल - चालू कार्य		
ख) घटाएँ : आदि स्टॉक - तैयार माल - चालू कार्य		
निवल वृद्धि / (कमी) (क-ख)	शून्य	शून्य

वित्तीय विवरणी (गैर-लाभांश संगठन) का फार्म
संस्थान का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, मुट्टुकाडु
31, मार्च, 2009 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय की अंगस्वरूप अनुसूचियाँ
(राशि रु..... में)

अनुसूचि 20 कार्यक्रमों और सेवाओं पर व्यय	चालू वर्ष	गत वर्ष
मानव संसाधन विकास	1,156,069	562,044
अनुसंधान एवं विकास	1,607,748	1,089,691
सेवा प्रतिमानों का विकास	0	0
कन्सलटेंसी सेवा	818,976	302,878
दस्तावेजीकरण एवं प्रचार प्रसार	0	388,753
विस्तावरण और अभिगम सेवाएँ	0	8,500
स्टाफ कल्याण व्यय चालू वर्ष	1,328,271	0
कुल	4,911,064	2,351,866
अनुसूचि 20-क स्थापना व्यय	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) वेतन व मजदूरियाँ	7,690,903	3,401,917
ख) भत्ते व बोनस	3,896,944	2,607,960
ग) भविष्यनिधि में योगदान	0	0
घ) अन्य निधि (विशिष्टतया बताएँ) में योगदान	515,154	285,621
ङ) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और आखिरी हित-लाभ	0	334,130
च) अन्य विशिष्टतया बताएँ : पीएंडजी लेखे को भुगतान	0	0
कुल	12,103,001	6,629,628
अनुसूचि 20-ख अन्य कार्यक्रम व्यय	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) उत्तर पूर्वी राज्य	0	0
ख) एडीआईपी योजना	11639132	28,909,372
ग) पायलेट परियोजना	0	0
घ) अन्य व्यय	0	0
ङ) एआईडीपी खाते को अंतरण	0	0
कुल	11,639,132	28,909,372

वित्तीय विवरणी (गैर-लाभांश संगठन) का फार्म

संस्थान का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, मुटुकाडु

31, मार्च, 2009 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय की अंगस्वरूप अनुसूचियाँ

(राशि रु..... में)

अनुसूचि 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		
1. समर्थन सेवाओं पर व्यय	1508444	634,286
2. विद्युत और ऊर्जा	176342	137,027
3. बीमा	19006	24,277
4. अस्थायी भवनों की मरम्मत/नवीकरण	351872	2,603,261
5. मरम्मत और रखरखाव	192055	352,424
6. वाहन भाडा प्रभार	139088	330,873
7. वाहनों की मरम्मत व रखरखाव	390746	72500
8. डाक और टेलीफोन प्रभार	242471	150136
9. मुद्रण व लेखन सामग्री	372631	285,471
10. यात्रा एवं सवारी व्यय	743250	683,809
11. लेखा-परीक्षकों का पारिश्रमिक	0	0
12. आंतरिक लेखा परीक्षक-परामर्शी प्रभार	0	0
13. आस्तियों के विक्रय पर हानि	0	0
14. विज्ञापन और प्रचार	523305	480,290
15. धन वापसियाँ	0	0
16. विविध व्यय	180536	375,148
कुल	4,839,746	6,129,502

वित्तीय विवरणी (गैर-लाभांश संगठन) का फार्म

संस्थान का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, मुट्टुकाडु

31, मार्च, 2009 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय की अंगस्वरूप अनुसूचियाँ

(राशि रु..... में)

अनुसूचि 22 - अनुदानों, परिदानों आदि पर व्यय	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) संस्थाओं/संगठनों को दिये गये अनुदान		
ख) संस्थाओं/संगठनों को दिये गये परिदान		
कुल	शून्य	शून्य
टिप्पणी : हस्तियों के नाम, उनके कार्यकलापों सहित अहे अनुदानों/ परिदानों के रूप में दी गयी राशियों सहित प्रकट करें।		

(राशि रु..... में)

अनुसूचि 23 - ब्याज	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) नियत ऋणों पर		
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों को शामिल करते हुए)		
ग) अन्य (विशिष्टयता बताएँ)		
कुल	शून्य	शून्य

राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, चेन्नई

लेखा नीतियाँ

निम्न विषयों के संबंध में उचित लेखा बहियों का लेखा वर्ष 2005-06 और उसके आगे रखरखाव करने के लिए संस्थान द्वारा अनुसरण की जानेवाली

- क) सभी प्रकार की धन प्राप्तियों और व्ययों तथा जिन मामलों के संबंध में प्राप्तियाँ और व्यय घटे हैं;
 - ख) सभी प्रकार के राजस्व/प्राप्त आय/वसूली योग्य और अदा किया गया व्यय/देय राशियाँ
 - ग) सभी प्रकार के मालों के क्रम और विक्रम; और
 - घ) सभी आस्तियाँ और देनदारियाँ; सभी मामलों में संस्थान की सही और निष्कलंक छवि प्रस्तुत है।
1. संस्थान की लेखा – बहियाँ, उनके निम्न आवश्यक पहलुओं के पुरा होना सुनिश्चित करने के लिए उपचित आधार पर, रखी जायेगी (क) राजस्व को मान्यता नकद रूप में धन की प्राप्ति होने या न होने पर भी इसे अर्जित धन समझा जाए (ख) ऐसे राजस्वों से मेल खाते व्ययों – पर।
 2. चूँकि लेखा बहियों का रखरखाव उपचित आधार पर होता है। कट ऑफ तिथि 15 अप्रैल मानी जाएगी।
 3. संस्थान की लेखा बहियाँ डबल एंट्री बुक कीपिंग पद्धति पर रखी जानी चाहिए।
 4. उचित अनुरक्षण और पहचान, लेखा – शीर्षों का कोडीकरण किया जाना चाहिए।
 5. निम्न प्रारूप में संस्थान की लेखा विवरणी तैयार की जानी चाहिए।
 - i) वर्ष 2008-09 के लिए प्राप्ति तथा भुगतान लेखा।
 - ii) वर्ष 2008-09 का आय तथा व्यय लेखा।
 - iii) 31 मार्च, 2009 को स्थित तुलन-पत्र।

स्पष्टीकरण:

i) प्राप्तियों और भुगतानों का लेखा

- क) सभी वास्तविक प्राप्तियों को हिसाब में लिया गया।
- ख) सभी वास्तविक व्ययों को हिसाब में लिया गया।

ii) आय और व्यय खाता:

मद की वास्तविक प्राप्तियों और भुगतानों के अतिरिक्त उपचित आय और बकाया देनदारियों को, उचित प्रस्तुतीकरण और आय तथा व्यय की समग्र स्थिति जानने के लिए, प्रत्येक लेखा शीर्ष में जोडा जाए।

iii) 31 मार्च, 2009 को स्थिति तुलन-पत्र

देनदारियाँ

- 1) पूँजी
- 2) प्रारक्षित ऋण
- 3) प्रतिभूति ऋण
- 4) अप्रतिभूति ऋण
- 5) चालू देनदारियाँ

आस्तियाँ

- 1) मूल्यहास घटाकर नियत आस्तियाँ
- 2) निवेश
- 3) चालू आस्तियाँ, ऋण और अग्रिम राशियाँ
- 4) विविध व्यय (खाते न डाले जाने की सीमा तक)
- 5) आय और व्यय लेखा

टिप्पणी : जहाँ कहीं आवश्यकता हो लेखों की अंगरूप अनुसूचियाँ तैयार करके लेखों के साथ संलग्न की जानी है।

मूल्यहास :

मूल्यहास प्रदान करते समय निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन करना चाहिए।

- i) दिनांक 1.4.2005 को या उससे पूर्व प्राप्त की गयी नियत आस्तियों पर वार्षिक आधार पर मूल्यहास प्रदान करना।
- ii) लिख लेने की मूल्य पद्धति लिख लेने की प्रणाली अपनाना।
- iii) वित्त वर्ष के दौरान सितंबर माह तक प्राप्त आस्तियों के लिए प्रतिशत के अनुसार हिसाब लगाया जाए। अक्तूबर से फरवरी तक प्राप्त आस्तियों के लिए मूल्यहास @ 50% दर से मूल्यहास का हिसाब लगाना चाहिए। मार्च में प्राप्त आस्तियों पर मूल्यहास शून्य होगा।
- iv) लिख दी गयी मूल्य पद्धति के आश्रय पर प्रत्येक आस्ति की आयु और मूल्यहास की दरें नीचे दी गयी है:

क) भूमि	:	कोई मूल्यहास नहीं
ख) भवन	:	50 वर्ष की जीवन 20% मूल्यहास
ग) संयंत्र व मशीनरी	:	10 वर्ष की जीवन 10% मूल्यहास
घ) वाहन	:	6 वर्ष की जीवन 15% मूल्यहास
च) फर्नीचर व जुड़नार	:	10 वर्ष की जीवन 10% मूल्यहास
छ) कार्यालय उपकरण	:	10 वर्ष की जीवन 10% मूल्यहास
ज) संगणक और उपकरण	:	5 वर्ष की जीवन 20% मूल्यहास
झ) पुस्तकालय पुस्तकें	:	आयु नहीं 100% मूल्यहास

ह./-

(डॉ. नीरदा चन्द्रमोहन)
निदेशक

राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, चेन्नई

वार्षिक लेखों की अंगरूप टिप्पणियाँ

1. वार्षिक लेखों का संकलन केन्द्रीय स्वान्त विकासों की वित्तीय विवरणियों के प्रारूप में तैयार किया गया है। (गैर-लाभ संगठन और इसी प्रकार के संस्थान)
 - क) दि.31.3.2009 को स्थित तुलन-पत्र।
 - ख) वर्ष 2008-09 के लिए आय तथा व्यय लेखा।
 - ग) अनुसूचियाँ 1 से 25 तक प्रारूप के अनुसार।
 - घ) वर्ष 2008-09 के लिए प्राप्तियों और भुगतानों का लेखा।
2. लेखों को उपसिच आधार पर तैयार किया गया है।
3. लिख तिये गये मूल्य पद्धति पर मूल्यहास दिया जा रहा है।
4. लेखा-नीतियाँ तैयार की गयी और उनका अनुसार किया जा रहा है।
5. कुल प्राप्त रुपये 12,22,84,962/- की कुल प्राप्तियों (जिसमें आधिशेष, सहायता अनुदान, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुदान, अन्य संगठनों से प्राप्तियाँ, ऋण, अग्रिम और आंतरिक प्राप्तियाँ) में से विभिन्न कार्यकलापों पर खर्च की गयी राशी रु.35,996,037/- और रु.8,62,88,295/- को छोड़कर (जिनमें से 7.50 करोड़ पूँजीगत कार्यों के लिए 91 दिन के लिए मीयादी जमा राशी के रूप में इंडियन बैंक, कोवलम शाखा चेन्नै में रखीगयी और शेष नगद NIEPMD के मुख्य बचत खाते में रु.44,46,154/-, NIEPMD एडिप के बचत खाते में रु.57,36,285/- NIEPMD – GPF बचत खाते में रु.75,856/- और RIP & RD खाते में मियादी जमा रु.10,30,630/- नये पेंशन योजना जमा है।
6. वर्ष 2008-09 के लिए आस्थियों और भंडारों की भौतिक जाँच चल रही है।
7. मंत्रालय द्वारा जारी किये गये अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है और अब कोई कोई उपयोगिता प्रमाण-पत्र पड़े नहीं है।
8. आवश्यकता के अनुसार आँकड़ों को वर्गीकृत किया गया है।

ह./-

(डॉ. नीरदा चन्द्रमोहन)
निदेशक

राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09
1	समर्थन सेवाएँ सुरक्षा वा साफ सपाई	634286	1508444
2	यात्रा और सवारी व्यय	683809	743250
3	वाहन भाडा प्रभार	330873	139088
4	टेलीफोन और डाक प्रभार	150136	242471
5	मुद्रण व लेखन सामग्री	285471	372631
6	विज्ञापन व प्रचार	480290	523305
7	आतिथ्य	7595	28730
8	विद्युत प्रभार	137027	176342
9	आस्तियों की मरम्मत और रखरखाव	352424	192055
10	टाटा सुमो का आर एंड एम	0	163814
11	अन्य गैर - उप भोज्य भंडार	167329	0
12	प्रकासन और पत्रिकाएँ	13872	20412
13	बैंक प्रभार	290	371
14	स्कूल बस का आर एंड एम	72500	226932
15	फुटकर व्यय	186062	131023
16	तात्कालिक भवनों की मरम्मत व नवीकरण	2603261	351872
17	बीमा	24277	19006
	कुल	6129502	4839746

राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, चेन्नै अनुसूची नं.20-ए के अंतर्गत कार्यक्रमको सेवाओं पर खर्च का विकास

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09
1	मानव संसाधन विकास: दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम	289814	414893
	लघु-अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम	272230	723017
2	अनुसंधान और विकास	0	0
3	सेवा प्रतिमानों का विकास	1089691	1607748
4	जागरूकता कार्यक्रम का सृजन	302878	818976
5	मानसिक अक्षमता पर राष्ट्रीय कार्यशाला	388753	0
6	शिला नींव डालने का कार्यक्रम	0	617212
7	स्टाफ कल्याण व्यय	8500	0
8	प्रादेशिक क्रीडा समीचीन	0	711059
9	औषधियाँ ए/सी	0	18159
	कुल	2351866	4911064

राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, चेन्नै प्राप्ति और भुगतान लेखे के लिए पूँजीकृत आस्तियाँ के प्रापण के ब्यौरे

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09
1	भूमि तथा भवन	0	238746
2	कम्प्यूटर और संबंधित सामग्री	283925	290050
3	संयंत्र व मशीनरी	1368146	563540
4	कार्यालय उपकरण	189030	255888
5	फर्नीचर और जुडनार	330400	273191
6	मोटर वाहन	1180263	0
7	पुस्तकालय पुस्तकें	480673	309456
	कुल	3832437	1930871

राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, चेन्नै
वर्ष 2007-08 के लिए वेतन भत्तों के ब्यौरे

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09
1	वेतन लेखा	2154778	5762099
2	महंगाई वेतन	1114650	-113837
3	श्रेणी वेतन	0	1831052
4	नान प्रोक्टिसिंग वेतन	125726	161462
5	वैयक्तिक वेतन	6763	50127
6	वेतनों पर कुल	3401917	7690903
7	समाचारपत्र भत्ता	18529	18965
8	मकान किराया भत्ता	791304	1541872
9	नगर प्रतिपूर्ति भत्ता	73789	51648
10	महंगाई भत्ता	1351126	1091465
11	परिवहन भत्ता	107632	506720
12	धोवन भत्ता	600	720
13	चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति	158800	592168
14	तदर्थ बोनस	2467	29582
15	छुट्टी का वेतन और पेंशन योगदान	103713	6763
16	एल टी सी	0	29221
17	पुस्तकों का भत्ता	0	24580
18	शिक्षण प्रतिपूर्ति का शुल्क	0	3240
	भत्तों और बोनस पर कुल	2607960	3896944
19	अर्जित छुट्टी का नकदीकरण	334130	0
20	नया पेंशन योगदान	285621	515154
	कुल	6629628	12103001

राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, चेन्नै
अनुसूची 20-वी के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के लिए एडिप योजना के अंतर्गत व्यय का विवरण

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09
1		3177627	215955
2		11994810	7076727
3		5382287	2677309
4		2080800	1295715
5		5376022	0
6		252464	50151
7		645362	323275
		28909372	11639132

राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, चेन्नै
अनुसूची 21 के अंतर्गत फुटकर व्यय का विवरण

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09
1	फुटकर व्यय	186062	131023
2	अन्य नान-उपभोग्य वस्तु	167329	0
3	प्रकाशन एवं नियतकालिक पत्रिका	13872	20142
4	आतिथ्य	7595	28730
5	बैंक व्यय	290	371
	कुल व्यय	375148	180536

राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, चेन्नै
अनुसूची 18 के अंतर्गत फुटकर आय का विवरण

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09
1	विक्रय	54200	0
2	पुराने समाचार-पत्र का विक्रय	555	1551
3	अध्यापन सामग्री का विक्रय/निविदा प्रपत्र	2370	3600
4	छात्रावास अनुपालन व्यय	0	19425
5	फुटकर रसीदें	0	3231
6	अतिथि गृह रसीदें	5825	23160
	कुल व्यय	62950	50967

राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, चेन्नै
31.03.2009 स्टाफ को अग्रिम देने का वर्णन



क्र.सं.	नाम एवं पद	उद्देश्य	राशि	पुनः प्राप्ति के लिए 2008-09	यथा रोकड़ बाकी 31.03.2009
	श्रीमान/श्रीमति				
1.	एम. राजेश, सूचना एवं मीडिया अधिकारी	मोटर साईकिल उन्नति	27000	6000	21000
2.	देवेन्द्र प्रसाद, पुनर्वास अधिकारी	मोटर साईकिल उन्नति	27000	6000	21000
3.	ऐ.जे. अनुसुया, पुनर्वास अधिकारी	मोटर साईकिल उन्नति	27000	6000	21000
4.	के. बालभास्कर, प्रवक्ता	मोटर साईकिल उन्नति	27000	6000	21000
5.	धनवेदन, विशेष अध्यापक	मोटर साईकिल उन्नति	27000	6000	21000
6.	एस.के. सामी, पी.ए. (स्टेट एवं मेन्टेन्स)	मोटर साईकिल उन्नति	27000	6000	21000
7.	सुनील कुमार यू., पी.ए. (एस और पी)	मोटर साईकिल उन्नति	27000	6000	21000
8.	राजेश रामचन्द्रन, पुनर्वास अधिकारी	मोटर साईकिल उन्नति	27000	6000	21000
9.	पी. एनजिलिन गोल्डा, पी.ए.	मोटर साईकिल उन्नति	30000	4500	25500
10.	एस. वेंकटेश्वरन्, पी.ए.	मोटर साईकिल उन्नति	30000	4500	25500
11.	एस. गुरुमूर्ति, पुनर्वास अधिकारी	मोटर साईकिल उन्नति	30000	4000	26000
12.	जे.एम.डी इब्रहिम, पी.ए.	मोटर साईकिल उन्नति	30000	4500	25500
13.	एम. कथिरवण, विशेष अध्यापक	मोटर साईकिल उन्नति	30000	4000	26000
14.	स्टालिन अरुल रिग्न, विशेष अध्यापक	मोटर साईकिल उन्नति	30000	2000	28000
15.	शोभियावाणी, विशेष अध्यापक	मोटर साईकिल उन्नति	30000	2000	28000
16.	एस. कृष्णमूर्ति, चपरासी	मोटर साईकिल उन्नति	19200	3600	15600
	कुल		448200	73100	375100
17.	ए. अमरनाथ, प्रवक्ता	कम्प्यूटर उन्नति	27000	6000	21000
18.	राजेश रामचन्द्रन, पुनर्वास अधिकारी	कम्प्यूटर उन्नति	27000	6000	21000
19.	के. बालभास्कर, प्रवक्ता	कम्प्यूटर उन्नति	30000	4500	25500
20.	प्रज्ञा वर्मा, पुनर्वास अधिकारी	कम्प्यूटर उन्नति	30000	4500	25500
21.	एस. वेंकटेश्वरन्, पी.ए.	कम्प्यूटर उन्नति	30000	4000	26000
22.	ऐ.जी. अनुसुया, पुनर्वास अधिकारी	कम्प्यूटर उन्नति	30000	4500	25500
23.	पी.एस. श्रीनिवास, सहायक प्रोफेसर	कम्प्यूटर उन्नति	30000	10000	20000
24.	एस.के. सामी, पी.ए.	कम्प्यूटर उन्नति	30000	8000	22000
	कुल		234000	47500	186500
25.	सुनील कुमार यू., पी.ए. (एस और पी.)	वाढ़ पेशागी	5000	200	4800
26.	देवेन्द्र प्रसाद, पुनर्वास अधिकारी	वाढ़ पेशागी	5000	200	4800
27.	ऐ.जी. अनुसुया, पुनर्वास अधिकारी	वाढ़ पेशागी	5000	200	4800
28.	धनवेदन, विशेष अध्यापक	वाढ़ पेशागी	5000	200	4800
29.	एस.के. सम्य पी.ए.	वाढ़ पेशागी	5000	200	4800
30.	राजेश रामचन्द्रन, पुनर्वास अधिकारी	वाढ़ पेशागी	5000	200	4800
31.	पी. एंजेलिन गोल्डा, पी.ए.	वाढ़ पेशागी	5000	200	4800
32.	एस. वेंकटेश्वरन्, पी.ए.	वाढ़ पेशागी	5000	200	4800
33.	जे.एम.डी. इब्रहिम, पी.ए.	वाढ़ पेशागी	5000	200	4800
34.	प्रज्ञा वर्मा, पुनर्वास अधिकारी	वाढ़ पेशागी	5000	200	4800
35.	एस. कृष्णमूर्ति, चपरासी	वाढ़ पेशागी	5000	200	4800
	कुल		55000	2200	52800
36.	एस. कृष्णमूर्ति, चपरासी	उत्सव पेशागी	3000	300	2700
	कुल		3000	300	2700
37.	पी.एस. श्रीनिवास, साहयक प्राध्यापक	परिवहन भत्ता पेशागी	15500	0	15500
38.	के. बालभास्कर, प्रवक्ता	परिवहन भत्ता पेशागी	3900	0	3900
	कुल		19400	0	19400
	पूर्ण योग				636500

सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश नं. F/No.8-9/2006, दिनांक 03 जुलाई, 2007 के अनुसार एवं एन.आई.ई.पी.एम.डी. के विधि नियम उपवर्ग - 9 के अंतर्गत सामान्य परिषद् का गठन किया गया।

सामान्य परिषद के सदस्यों की सूची

1.	श्री के.एम. आचार्य सचिव जी.ओ.आई. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001	सभापति
2.	सुश्री पूणम नटराजन चैरमन्, राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली।	सदस्य
3.	मेजर. जनरल & इयान कारडोजो चैरमन्, भारतीय पुर्नवास परिषद् नई दिल्ली।	सदस्य
4.	श्री आशिस कुमार (जनवरी 2009 तक) डॉ. अरविन्द प्रसाद (जनवरी 2009 से - दिनांक तक) संयुक्त सचिव जी.ओ.आई. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001.	सदस्य
5.	श्री पी.के. सिंहा वित्त सलाहकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001.	सदस्य
6.	प्रशिक्षण एवं रोजगार के महासंचालक श्रमिक मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110 001.	सदस्य
7.	श्री अमिताभ मेहरोत्रा गुरुदया निवास, 26 सचिवालय कॉलनी, लखनऊ (यू.पी.)	सदस्य
8.	डॉ. एस.एस. बद्रिनाथ शंकर नेत्रालय, 18 कॉलेज रोड, चेन्नै (टी.एन.)	सदस्य

9.	श्री ए. बालाजी नया नंबर.129 पुराना नंबर 76, जे-ब्लाक, अन्ना नगर, चेन्नई - 600 102.	सदस्य
10.	श्रीमति नंदिता गुरजर बी.पी.ओ. डिविजन, इंफोसिस, बेंगलूर।	सदस्य
11.	श्री एन. थॉमस नगुल्ली लेख व्यूह, खेर महल, दीमापूर, नागालैंड।	सदस्य
12.	डॉ. कल्याण कृष्णनन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, ऐ.ऐ.टी. डाक कार्यालय, चेन्नई (टी.एन.)	सदस्य
13.	डॉ. आर.के. श्रीवास्तव स्वास्थ्य सेवा महासंचालक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणकारी मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।	सदस्य
14.	डॉ. पी. राममोहन राव प्रधान सचिव, सामाजिक कल्याण विभाग, तमिलनाडु सरकार।	सदस्य
15.	डॉ. वी.के. सुब्बराज प्रधान सचिव एवं निर्देशक, स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाएँ, तमिलनाडु सरकार।	सदस्य
16.	संयुक्त सचिव जी.ओ.आई. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।	सदस्य
17.	प्रो. रंगासयी निर्देशक, के.सी. मार्ग, बांदरा पुनरुद्धार, बांदरा (परिचम), मुंबई	सदस्य
18.	श्री टी.सी. शिवकुमार निर्देशक, मनोविकास नगर, सिकंदराबाद - 500 009.	सदस्य
19.	सुश्री अनुराधा मोहित निर्देशक, 116, राजपुर रोड, देहरादुन-01.	सदस्य
20.	डॉ. रतनेश कुमार निर्देशक, बी.टी. रोड, बोन-हुगली, कोलकाता - 90	सदस्य
21.	डॉ. नीरधा चन्द्रमोहन निर्देशक, मुट्टुकाडु, पूर्व तरीय रोड, चेन्नई - 603 112	सदस्य

कार्यकारी परिषद्

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश नं. F/No.8-9/2006, दिनांक 03 जुलाई, 2007 एवं एन.आई.ई.पी.एम.डी. विधि नियम उपवर्ग - 12 के अंतर्गत कार्यकारी परिषद् का गठन किया गया।

कार्यकारी परिषद सदस्यों की सूची

1.	श्री आशिस कुमार (जनवरी 2009 तक) डॉ. अरविन्द प्रसाद (जनवरी 2009 से दिनांक तक) संयुक्त सचिव जी.ओ.आई. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001	सभापति
2.	श्री पी.के. सिंहा वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001	सदस्य
3.	संजय शरण निर्देशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001	सदस्य
4.	श्री सी. अरुण कुमार चेन्नै (तमिलनाडु)	सदस्य
5.	डॉ. डी. नागराजा निर्देशक, NIMHANS बेंगलूर	सदस्य
6.	डॉ. नीरधा चन्द्रमोहन निरदेशक, एन.आई.ई.पी.एम.डी. मुट्टुकाडु, ईसीआर रोड, चेन्नै - 603 112.	सदस्य सचिव

शैक्षिक समिति

आधिविद्य समिति के सदस्यों की सूची

1.	डॉ. नीरधा चन्द्रमोहन निरदेशक, एन.आई.ई.पी.एम.डी., चेन्नै।	संयोजक
2.	डॉ. ए.के. मिथल पूर्व क्षेत्रीय निर्देशक, एन.आई.वी.एच., चेन्नै।	सदस्य
3.	प्रो. पी. जयचन्द्रन निर्देशक, विजया मानवीय सेवाएँ, चेन्नै।	सदस्य
4.	श्री (डॉ.) रीटा मेरी व्यस्क बधिर बालिकाओं के लिए मार्गदर्शन गृह, चेन्नै	सदस्य
5.	डॉ. विजयलक्ष्मी मेरेडुडी विशेष शिक्षा में प्रवक्ता., एन.आई.एम.एच., सिकंदराबाद	सदस्य
6.	श्री अखिल फौल निर्देशक, सेन्स इंटरनेशनल, अहमदाबाद	सदस्य
7.	डॉ. करुणानिधि विभागाध्यक्ष (मनोविज्ञान) मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नै	सदस्य
8.	प्रो. रंगस्वामी प्राचार्य एवं समन्वयक स्वीकार उपकार पुनर्निवेशन संस्था हैदराबाद	सदस्य
9.	प्रो. रूपा नागराजा विभागाध्यक्ष, भाषण एवं श्रवण विभाग, रामचन्द्रा चिकित्सा कॉलेज, चेन्नै	सदस्य
10.	डॉ. पुरुषोत्तम फ्रिलॉन्स साईकोलिंग्वीस्टिक बेंगलूर।	सदस्य
11.	डॉ. रतना पूर्व निर्देशक ए.आई.आई.एस.एच., बेंगलूर।	सदस्य

शैक्षिक समिति का मुख्य कार्य संस्थान का मार्ग प्रदर्शन एवं सुझाव देना है। जैसे- संस्थान कार्यक्रमों जो कि बहुविकलांग-व्यक्तियों के लिए है, उनका संचालन एवं प्रबंधन करना।



अनुबंध 1

फार्म सं. II

(तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1978 नियम 8 देखिए)

अनुभाग 10 के अंतर्गत तमिलनाडु का पंजीकरण प्रमाण-पत्र

कानून, 1975 (1975 का तमिलनाडु कानून 27)

सोसाइटी पंजीकरण का प्रमाण-पत्र

अनु.सं. 59/2006


मैं यहाँ प्रमाणित करता हूँ कि

राष्ट्रीय बहु विकलॉग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान आज के दिन तमिलनाडु सोसाइटी कानून 1975 के अंतर्गत पंजीकृत हुआ (1975 का तमिलनाडु कानून 27)

23 अक्तूबर 2006 के दिन चेंगलपट्टु में मेरे हाथ से दिया।

शिका : DISTRICT REGISTRAR, OFFICE,
विभाग : CHENGALPATTU.

रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर



ए. विशेष शिक्षा के डिप्लोमा कार्यक्रम की विषय वस्तु

सिद्धान्त पेपर	डीएसई (सीपी)	डीएसई (डीवी)	डीएसई (एसडी)
पेपर I	चिकित्सा	विकलांगता और गतिशील विज्ञान का परिचय	आरिणम - प्रकृति एवं आवश्यकताएँ
पेपर II	बालविकास मनोविज्ञान और पुनर्वास	सहायता और मूल्यांकन	मानव विकास और मनोविज्ञान
पेपर III	भौतिक सहायता और व्यावहारिक व्यवस्थापन	संभाषण	पाठ्यक्रम और शिक्षण
पेपर IV	संभाषण, सुनना, भाषा और बोलना	अनुदेशात्मक अनुदेशन और हस्तक्षेप	परिवार और समुदाय
पेपर V	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित बच्चों के लिए शिक्षा	बधिर-अंधत्व अनुदृष्टि और सराव	चिकित्सा
प्रायोगक			
प्रायोगक I	भौतिक सहायता और व्यवहारीक व्यवस्थापन	सहायता और मूल्यांकन	वैयक्तिकता के अनुरूप कार्यक्रम योजना
प्रायोगक II	संभाषण, सुनना, भाषा और बोलना	अभिवन्यास और गतिशीलता	समूह शिक्षण
प्रायोगक III	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित बच्चों के लिए शिक्षा	संभाषण	सिद्धान्तात्मक-ए
प्रायोगक IV	परियोजना	शिक्षण सहायक सामग्री को तैयार करना	सिद्धान्तात्मक-बी
प्रायोगक V	प्रदत्त कार्य	शिक्षण अनुभव	—
प्रायोगक VI	—	छात्र अध्ययन	—
प्रायोगक VII	—	परियोजना कार्य	—
प्रायोगक VIII	—	सामाजिक प्रचार और उपयोजन	—

ब. पाठ्यक्रम का उद्देश्य:

I. विशेष शिक्षण डिप्लोमा (बधिरांधता) :

- छात्रों को बालक के विकास में बधिरता अंधत्व की जटिलताओं को बोधगम्य का प्रशिक्षण, बधिरांधता को शिक्षण देने का सामर्थ्य और स्वतंत्र जीवन यापन के लिए सम्पूर्ण मूल्ययांकन के पश्चात् कौशल प्रदान करना।
- बधिरांधता के लिए विविध दृश्यविधानों की गतिविधियों एवं आवश्यकता अनुरूप पाठ्यक्रम का विकास करने का छात्रों को प्रशिक्षण।
- आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षणों के साथ-साथ व्यवसाय कौशल का समावेश।

II. विशेष शिक्षण में डिप्लोमा (प्रमस्तिष्क पक्षाघात) :

- विकलांगता संबंधी मनोवैज्ञानिक पक्षों का सम्पूर्ण ज्ञान प्रदर्शित करना।
- चिकित्सा पद्धति के सम्पूर्ण ज्ञान विशेषकर सामान्य शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान तथा विकृति विज्ञान और तंत्रकीय पेशीन्द्रीय प्रणाली संबंधी को प्रदर्शित करना।
- बालक में गति के प्ररूपी और अप्ररूपी स्वरूप, संज्ञानत्मक बोलना, भाषा और सम्प्रेषण विकास संबंधी अंतर का ज्ञान।
- शारीरिक, प्रकार्यात्मक, वाक् तथा भाषा चिकित्सा को कार्यान्वित करना।
- बालकों में विविध रूपी संबंधी शारीरिक, व्यवसायिक वाक् और भाषा चिकित्सकों द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन।
- अनुदेशात्मक कार्यक्रमों का आयोजन एवं कार्यान्वयन।
- उपयुक्त अल्पव्ययी प्रौद्योगिकी द्वारा विविध विशेष शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।
- कक्षा अनुदेश संबंधी दृश्यविधानों को बनाना तथा प्रयोग करना।
- आई.बी.आर. और सी.बी.आर दृश्यविधानों में कार्यकरने हेतु विविध प्रयोजन कौशलों का विकास करना।

III. विशेष शिक्षण डिप्लोमा (ऑस्टिम विकार विश्लेषण) :

- छात्रों को ऑस्टिम विकार विश्लेषण ग्रसित लोगों के लिए पाठ्यक्रम को निर्धारित एवं विकसित करने का प्रशिक्षण।
- छात्रों को कक्षा प्रबंधन तथा अभिलेख प्रबंध संबंधी ज्ञान का प्रशिक्षण।
- छात्रों को ऑस्टिम विकार विश्लेषण के लोगों को व्यवहार प्रबंध संबंधी मनोवैज्ञानिक उद्देश्यों का प्रशिक्षण।
- छात्रों को ऑस्टिम विकार विश्लेषण संबंधी लोगों पर अन्य विशेष चिकित्सा का प्रयोग करने का अधिकार प्रदान करना।

C. वर्ष 2008-09 में सफलता प्राप्त करनेवाले विद्यार्थियों की सूची एवं उनका रोजगार सूचना
कार्यक्रम का नाम : विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (प्रमस्तिष्क पक्षाघात)

क्र.सं.	परीक्षार्थी का नाम	सेवायुक्ति विवरण
1.	अनिता एम.डी. पुत्री/श्री. एम.टी. देविस्व्या, मुथलाकविल (मुख्य कार्यालय), पयहडु (डाक), चोलक्कल, मंजेरी, मालप्पुरम्।	एस.एस.ए., केरल
2.	भुवनेश्वरी टी. पुत्री/श्री पी. त्यागराजन, 27ए, थेरोवप्ती अम्मन कोबील गली, चिदम्बरम् - 608001स्कूल चिदम्बरम्	जी.वी. विशेष
3.	भुवनेश्वरी आर. पुत्री/श्री पी. रवीन्द्रन, 2पल्लीवासल स्ट्रीट, भारतमाता महिला छात्रावास, तिरुवरपुर - 610 001	एस.एस.ए., तिरुवरपुर
4.	काकडे स्वपनिल खेमराज पुत्री/श्री दोयरम चातुर गृह के समीप, हिगना (डाक) टी.ए. हिगना (जिला) नागपूर	उच्च शिक्षा
5.	कन्नियप्पन के.एम. पुत्री/श्री मणिकम 3/140, बिग स्ट्रीट, मदुर, तिरुत्तनी तालुक, तिरुवल्लुयर (जिला)स्कूल, पुदुचेरी	सत्या विशेष
6.	कपिल देव पुत्री/श्री एम.पी. कत्रिया, डी-36, सुगर मिल, मोरना मुजफ्फर नगर यू.पी. 251 316	उच्च शिक्षा
7.	लिजेश वेंयालिल पुत्री/श्री वी. नारायण वेंथालिल हाऊस, मणियुर (डाक) पय्योलि वया, कोकोड (जिला), केरल - 673 523	उच्च शिक्षा
8.	मीना सी. पुत्री/श्री चिन्नमुत्थु मिलिधने, जे.बी.एम., मिलिधने (डाक), कोटगिरी, नीलगिरि - 643 217	शान्ति नीति केन्द्र नीलगिरि
9.	मेरकुरि आर. एस. /ओ श्री के. राजशेखर, नंबर-63, सुभ्रमन्य भारतीयार, एस.टी. रेड हिल्स, चेन्नै-52	लिटिल. हार्टस विशेष स्कूल, चेन्नै
10.	नंदिनी एस. पुत्री/श्री पी. शंतानम् वैलचेरि (डाक), तिरुप्पुवनम् (वया), विरुदानगर (जिला) - 630 611	एन.जी.ओ. मदुरै
*11.	निर्मला के. पुत्र/श्री आर. कुप्पुस्वामी, हाऊस नंबर-113 सुब्रमनियर, कोयील स्ट्रीट, लाउसपेट, पुदुच्चेरी-605 008	सत्या विशेष स्कूल, पुदुच्चेरी
12.	सुमति सी. पुत्री/श्री वी. चेल्लै 15ए रतिनापुरी, अलवर्तिखनग्य तुतुकोरिन (जिला), तमिलनाडु - 628 612	भारत मादा विशेष स्कूल मैलाडुदुरै
13.	तमिलरासि एस. पुत्री/श्री एस. सेल्वराजन, तनटतंकरई, तिरुयुरयपुंडी (टीके), तिरुवरयुर (जिला) 614 715	भारत माता विशेष स्कूल, तिरुयुरयपुंडी

* वर्ष 2008-09 के लिए प्रथम स्थान प्राप्त

D. वर्ष 2008-09 में सफलता प्राप्त करनेवाले विद्यार्थियों की सूची एवं उनका रोजगार विवरण

कार्यक्रम का नाम : विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (बधिरअंधत्व)

क्र.सं.	परीक्षार्थी का नाम	सेवायुक्ति विवरण
1.	देवेंदिरन वी. पुत्र/ए. वीर मुत्तु, मेन रोड़, तेंकीरनुर (डाक), कल्लंकुरुची तालुक, विल्लुपुरम (जिला)	एस.एस.ए. विल्लुपुरम
2.	गडपल अंजुतरा घनश्याम, सी./ओ. श्री वोकाडे, जनरल हॉस्पिटल के पीछे, काजी नगर, नरसिंह कॉलनी, भंडारा, (तालुका) भंडारा (जिला)	एस.एस.ए. नागपुर
3.	जैनसी जी. पुत्री/ श्री जी. गणेशन 2/64, तंगसलय एस.टी., मुद्दुर गाँव, तिरुत्तनी (तालुका), तिरुवल्लोर (जिला)	उच्च शिक्षा
*4.	खोब्रागडे उज्वल गौतम पुत्र/श्री गौतम, खाट थाना-मौदा, नागपुर (जिला), महाराष्ट्र 441406	एस.एस.ए. नागपुर
5.	मादंगी आर. पुत्री/श्री एस. राजेन्द्रन नंबर, 1/47, वेंकटेश नगर, एक्सटन 1, प्रथम स्ट्रीट, विरुगमवाक्कम, चेन्नई-600092.	मैत्री विशेष स्कूल चेन्नई
6.	मैथिली एल. पुत्री/श्री सोम सुन्दरम्, प्लाट नंबर, 12 एम. रामलिंग नगर, पाँचवा मैन रोड़ कुरिंजी स्ट्रीट, पश्चिम एक्सटन, ऊरियूर, तिरुची-620003.	पुनर्वास स्कूल, सैनिक प्रधान कार्यालय, चेन्नई
7.	नित्या एस. पुत्री/श्री के. सोमु सितंकरतिरुप्पु अंजिनिय कोली एस.टी., के. एस. पुरम (डाक), सिरकली-609106.	अनबगम मैइलादुतुरई
8.	पारतिपन एम. पुत्र/श्री मनिक्कन्न, मैन रोड़, वदतलैयकुलम (डाक) चिदम्बरम् (तालुका), कुड्डलोर-608704	अनबगम मैइलादुतुरई
9.	प्रीतम राज. आर पुत्र/श्री राजेश कुमार पलिका नगर के समीप, अतर्र, बंदा, उत्तर प्रदेश - 210201.	अंधों के लिए रामा स्कूल बांदा (उ.प्र.)
10.	रामेश वी. पुत्र/श्री वेंकटाचलम कोवंडाबेहरों का सरकारी, कुरुची (डाक) पश्चिम स्ट्रीट, लालगुडी (तालुका) (जिला) तिरुची- 621711	प्राथमिक पाठशाला तिरुची
11.	रामटेक सिद्धेश्वर वासुदेव पुत्र/श्री वासुदेव डाक मनेगाँव (बाजार), जिला-बांदरा, महाराष्ट्र	एस.एस.ए. नागपुर
12.	सेल्वी एस.सी. पुत्री/श्री चित्रमबलम, 1/70, कामराजर स्ट्रीट, मद्दुर, तिरुत्तनी, (तालुका) तिरुवल्लोर (जिला) - 631206	तमिलनाडु नेत्रहीन स्कूली मण्डल,
13.	वेंदम एन.एस. पुत्र/श्री एन. सेलवन 3/104, बोग स्ट्रीट, मद्दुर गाँव, तिरुत्तनी (तालुका), तिरुवल्लोर (जिला) - 631206	विशेष सहायक जीवन स्कूल तिरुवल्लोर

* वर्ष 2008-09 के लिए प्रथम स्थान प्राप्त

E. वर्ष 2008-09 में सफलता प्राप्त करनेवाले विद्यार्थियों की सूची एवं रोजगार विवरण
कार्यक्रम का नाम : विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (ए.एस.डी.)

क्र.सं.	परीक्षार्थी का नाम	सेवायुक्ति विवरण
1.	अलफोंस लझरिता .ई. पुत्री/श्री एल. एडवर्ड, 7/198, नई चर्च सेइंट सेंथिअंबलम, सेवियरपुरम पोस्ट, तुतुकोरिन जिला - 628 251	एस.एस.ए., तुतुकोरिन
2.	गीता .वी. पुत्री/श्री पी. वेद्विवेल, 3/106, स अण्णा नगर, 'ए' ओक्कुर डाक, शिवगंगै जिला - 630 557.	नम्बिककै स्पेशल स्कूल, शिवगंगै
3.	गॉडगेट प्रिया रत्नाकर, पुत्री/श्री रत्नाकर ए.टी. - पारसोदि, डाक - कापरि (रेलवे) वर्धा रोड, टी.डी. नागपुर - 441 108.	बेरोजगार
4.	गॉडगेट संदीप ईश्वर, पुत्र/श्री ईश्वर एस गॉडगेट 291, उन्तक्ना, ददीपुर ले औट, एन.ऐ.टी. गार्डन, नागपुर-440 009.	सेन्ट्रल असोशियेशन फार न्यूरो-हेन्डिकेप्ड चिल्ड्रन नागपुर
5.	गोविंदराज ए.एम., पुत्र/श्री के. मारियप्पन, अण्णा स्ट्रीट, अदियमान कोट्टै (डाक), धर्मपुरी जिला - 636 807	लिटिल हार्ट स्पेशल स्कूल, चेन्नै
6.	कल्पना .बी., पुत्री/श्री बालन, 5, एफ-टाइप, टी.एन.ई.बी. क्वार्टर्स, तिरुपोरूर, चेंगल्पट्टु तालुक	रेहब स्कूल, सैनिक मुख्यालय, चेन्नै
7.	लक्ष्मी .एम., पुत्री/श्री एम. मारिमुत्तु, 116/12, सिंगर कोली स्ट्रीट, श्रीरंगम, तिरुच्ची - 620 006.	एस.एल.ए. स्कूल, तिरुच्ची
8.	रामचन्द्रन .एम., पुत्र/श्री के. मोहन राज, 13, सुब्रमन्य कोली प्रथम स्ट्रीट, राजाजी नगर, पल्लावरम, चेन्नै - 600 043.	मधुरम नारायण केन्द्र, चेन्नै
9.	श्रीमान रेवती .एस., पत्नी/श्री शंकरप्पन, 16, रिब्लिक स्ट्रीट, रेड्डीयारपालयम, पांडिच्चेरी।	कारुण्या स्पेशल स्कूल, पुदुच्चेरी
10.	श्रीमती रिंकी कुमारी, पत्नी/श्री देवेन्द्र प्रसाद, 10/1, हज़ीर स्ट्रीट, ई.सी.आर., मुट्टुक्काडु, चेन्नै	बेरोजगार (गृहणी)
11.	सेल्वमेरी .डी., पुत्री/श्री देवसगायम, 1/14, के.के. नगर, चौथा स्ट्रीट, काट्टुप्पाक्कम, पूनमल्ली, चेन्नै - 56.	स्वाभिमान स्कूल फ़ार आस्टिम, चेन्नै
12.	शिवा .पी., पुत्र/श्री पूंगावनम, नंबर 28/49डी, वेंकटेश्वर कोली तोट्टम् स्ट्रीट, कांचीपुरम।	सत्या स्पेशल स्कूल, पुदुच्चेरी
*13.	वांदरे सुषमा दिवाकर, पुत्री/श्री दिवागरराव नंबर, 46, मित्रा नगर, मनेवाड़ा रोड, नागपुर - 440 027.	सेवायोग प्रशिक्षण केन्द्र नागपुर

* वर्ष 2008-09 के लिए प्रथम स्थान प्राप्त

च. शैक्षिक सत्र 2008-09 के दौरान प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्राप्त विविध छात्रवृत्तियों का विवरण
विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (डी.बी.)

क्र.सं.	प्रशिक्षणार्थी का नाम	रिजिस्टर नं. (मणिपाल विश्वविद्यालय)	राशि प्राप्त करना	छात्रवृत्ति विवरण
1	देवेद्रन .वी	083100021	रु. 4750.00	अनुसूचित छात्रवृत्ति, आदि द्राविडर विभाग, तमिलनाडु सरकार
2	गडपाल अंजुतय धनश्याम	083100022	रु. 8285.00	अनुसूचित छात्रवृत्ति, जिला कल्याणकारी अधिकारी, नागपूर
3	झाँसी .जी	083100023	रु. 5600.00	पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति पिछड़ी जाति विभाग, तमिलनाडु सरकार
4	खोब्रग्रेड अजवाला गौतम	083100024	रु. 13000.00	अनुसूचित छात्रवृत्ति, जिला कल्याणकारी अधिकारी, नागपूर
5	माधंगी .आर	083100025	रु. 3000.00	अस्थि विकलांग छात्रवृत्ति, डी.डी.आर.ओ., चेंगलपेट
6	प्रतिपन .एम	083100028	रु. 5600.00	पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति, पिछड़ी जाति विभाग, तमिलनाडु सरकार
7	रामटेक सिद्धेश्वर वासुदेव	083100031	रु. 8285.00	अनुसूचित छात्रवृत्ति जिला कल्याणकारी अधिकारी, बांधरा
8	सेल्वी .एस.सी	083100032	रु. 5600.00	पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति, पिछड़ी जाति विभाग, तमिलनाडु सरकार
9	वेंदम .एन.एस	083100033	रु. 5600.00	पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति, पिछड़ी जाति विभाग, तमिलनाडु सरकार

विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (सी.पी.)

क्र.सं.	प्रशिक्षणार्थी का नाम	रिजिस्टर नं. (मणिपाल विश्वविद्यालय)	राशि प्राप्त करना	छात्रवृत्ति विवरण
1	भुवनेश्वरी .आर	081700062	रु. 5000.00	पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति, पिछड़ी जाति विभाग, तमिलनाडु सरकार
2	कन्नियप्पन .के.एम	081700064	रु. 3000.00	अस्थि विकलांग छात्रवृत्ति, डी.डी.आर.ओ., चेंगलपेट
3	मीना .सी	081700067	रु. 4150.00	अनुसूचित छात्रवृत्ति, आदि द्राविडर विभाग, तमिलनाडु सरकार
4	मेरकुरी .आर	081700068	रु. 4150.00	अनुसूचित छात्रवृत्ति, आदि द्राविडर विभाग, तमिलनाडु सरकार
5	सुमती .सी	081700071	रु. 4150.00	अनुसूचित छात्रवृत्ति, आदि द्राविडर विभाग, तमिलनाडु सरकार
6	तमिलरसि .एस	081700072	रु. 5000.00	पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति, पिछड़ी जाति विभाग, तमिलनाडु सरकार

विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (एएसडी)

क्र.सं.	प्रशिक्षणार्थी का नाम	रिजिस्टर नं. (मणिपाल विश्वविद्यालय)	राशि प्राप्त करना	छात्रवृत्ति विवरण
1	अल्फोन्स लजारिता .ई	081600016	रु. 4800.00	पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति, पिछड़ी जाति विभाग, तमिलनाडु सरकार
2	गीता .वी	081600017	रु. 3000.00	अस्थि विकलांग छात्रवृत्ति, डी.डी.आर.ओ., चेंगलपेट
3	गॉडघटे प्रिया रत्नाकर	081600018	रु. 12200.00	अनुसूचित छात्रवृत्ति, जिला कल्याणकारी अधिकारी, नागपूर
4	गॉडघटे संदीप ईश्वर	081600019	रु. 13000.00	अनुसूचित छात्रवृत्ति, जिला कल्याणकारी अधिकारी, नागपूर
5	गोविंदराज .ए.एम	081600020	रु. 4800.00	पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति, पिछड़ी जाति विभाग, तमिलनाडु सरकार
6	लक्ष्मी .एम	081600022	रु. 4800.00	पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति, पिछड़ी जाति विभाग, तमिलनाडु सरकार

अनुबंध 3

A. लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम


क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनांक	प्रतियोगी
01	प्रौढ़ व्यक्ति का स्वतंत्र जीवन आवश्यकता और प्रशिक्षण का विषय क्षेत्र	28 से 30 मई 2008 तक	18
02	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से ग्रस्त बच्चों को गृह आधारित मध्यस्था और अनुकूलता	16 से 18 जून 2008 तक	13
03	विकासात्मक अवरूद्ध बच्चों की जल्द पहचान और मध्यस्था	14 से 18 जुलाई 2008 तक	13
04	बहुविकलांग व्यक्ति के लिए बौद्धिक और व्यवहारीक मदद	21 से 25 जुलाई 2008 तक	29
05	बधिर-अंधत्व की सहायता	4 से 29 अगस्त 2008 तक	04
06	मंदगत्यात्मकता के लिए व्यवस्थापन में विशिष्ट अधिगम	18 से 22 अगस्त 2008 तक	42
07	संवेगात्मक गती और बोध क्षमता बढ़ाना विकलांग बच्चों में	8 से 12 सितम्बर 2008 तक	10
08	व्यवस्थापन	15 से 19 सितम्बर 2008 तक	16
09	बहुविकलांग बच्चों के लिए पाठ्यक्रम की सूचना	22 से 26 सितम्बर 2008 तक	08
10	सामूदायिक पुनर्वास और व्यवस्थापन	13 से 17 अक्तूबर 2008 तक	35
11	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से ग्रस्त के लिए मध्यस्थता प्रयुक्तियाँ	15 से 17 अक्तूबर 2008 तक	03
12	आटिज्म बच्चों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण	20 से 24 अक्तूबर 2008 तक	26
13	विकलांग पुनर्वास में शोध पद्धतियाँ	30 से 31 अक्तूबर 2008 तक	10
14	हेन्ड स्प्लिन्टिंग	17 से 21 नवम्बर 2008 तक	17
15	बहुविकलांग व्यक्ति के लिए सूचना और संभाषण तकनीकी का उपयोग	26 से 28 नवम्बर 2008 तक	26
16	विशेष शिक्षा में वर्तमान प्रवाह	15 से 19 दिसम्बर 2009 तक	06
17	बहुविकलांग बच्चों के विकास में प्रारंभिक वर्षों का महत्व	2 से 6 फरवरी 2009 तक	10
18	डिमेंसिया से ग्रसित प्रौढ़ व्यक्तियों की मानसिक दशा की पहचान एवं चिकित्सा	9 से 13 फरवरी 2009 तक	06
19	बहुविकलांग बच्चों को संवेदी एकीकरण इलाज	18 से 20 फरवरी 2009 तक	29
20	अरिज्म, चलुष्ण विकलांगता एवं अधिगायी बच्चों का प्रबंधन	24 फरवरी 2009	250
21	सत्र की शिक्षण प्रक्रिया में खत्रों की समस्याओं का व्यवस्थापन	18 से 20 मार्च 2009 तक	10
		कुल	581

B. अधिविन्यास और सचेतना कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनांक	प्रतियोगी
01	महत्व स्पेशियल स्कूल, कलपाक्कम में अभिभावकों का अधिविन्यास कार्यक्रम	25 अप्रैल 2008	22
02	बहुविकलांग व्यक्ति की जल्द पहचान और ढूँढ निकालने का परिचय कार्यक्रम, पाँडिच्चेरी	12 जून 2008	62
03	गर्भस्थ एवं स्तनपान महिलाओं में बहुविकलांग बच्चों को ढुंढ निकालने एवं पहचान के लिए स्थानीय महिला और आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रथिदाण।	13 जून 2008	139
04	अलग योग्यतावाले युवक के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम (RGNYB) श्री पेरम्बत्तूर	20 जून 2008	150
05	हेलन केलर के जन्मदिन समारोह पर व्याख्यान NIVH, पर पूनमल्ली, चेन्नै	29 जून 2008	187
06	अधिविन्यास पर दत्तक (निश्चित) खेल, तिरुच्ची	8 से 9 नवम्बर 2008	23
07	सामान्य विद्यालय में पढ़नेवाले बच्चों के विविध अधिगम समस्या पर अधिविन्यास रेमेडीयल स्ट्राटेजीस, चेन्नै	13 नवम्बर 2008	22
08	बहुविकलांगों के अभिभावकों के लिए अधिविन्यास कार्यक्रम	14 दिसंबर 2008	40
09	बहुविकलांगों के अध्यापकों के लिए अधिविन्यास कार्यक्रम, पाँडिच्चेरी	15 दिसंबर 2008	24
10	विकलांगता की संवेदीकत्म पर अधिविन्यास कार्यक्रम, चेन्नै	24 जनवरी 2009	35
11	बहुविकलांग छात्रों के लिए अधिविन्यास कार्यक्रम मेसटन शिक्षा महाविद्यालय, चेन्नै, विशेष शिक्षा का श्री बालीजी संस्कृत प्रसारक मंडल, बीड, महाराष्ट्र	25 फरवरी 2009	148
12	नेशनल ट्रस्ट एक्ट और उसकी योजना पर सचेतना कार्यक्रम, चेन्नै	24 मार्च 2009	66
13	परिवारों की पुनर्वास संवेदीकरण के लिए सहमती अभिकरण, उड़ीसा	26 मार्च 2009	15
14	DHLS प्रशिक्षणार्थी के लिए अधिविन्यास JIPMER, पांडीच्चेरी	19 मार्च 2009	36
15	बहुविकलांगों के अभिभावक और अध्यापकों का अधिविन्यास कार्यक्रम, करुनाई स्कूल, पांडिच्चेरी	26 मार्च 2009	37
		कुल	996

C. NIEPMD में आयोजित अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम	दिनांक	लाभार्थी
01	अपातकाल के दौरान बहुविकलांग बच्चों को संभालना	14 अगस्त 2008	35
02	विकलांग बच्चों को आहार और प्राकृतिक हानी में संभालना	29 सितम्बर 2008	30
03	आय उत्पादन कार्यक्रम	14 नवम्बर 2008	40
04	आय उत्पादन कार्यक्रम	21 नवम्बर 2008	30
05	बहुविकलांग व्यक्ति के अभिभावकों के लिए आय उत्पादन कार्यक्रम	24 फरवरी 2009	34
06	अभिभावकों के लिए आय उत्पादन कार्यक्रम	6 मार्च 2009	25
07	बहुविकलांग व्यक्ति के अभिभावकों के लिए आय उत्पादन कार्यक्रम	26 मार्च 2009	12
	कुल		206



अनुबंधन 4

कार्यशाला/संगोष्ठी एवं सम्मेलन में प्रशिक्षक/अधिकारियों की भागीदारी

क्र. सं.	विशेषाधिकार/ अधिकारियों का नाम	कार्यक्रम का शीर्षक	संगठन	स्थान
01	डॉ. विजयलक्ष्मी	अंगहीन के लिए मुद्रण साधन	विद्या विकास, चेन्नै	चेन्नै
02	श्री स्टालिन अरुल रेगन	बधिरांधता प्रशासन प्रयत्न	सेन्स इंटरनेशनल नई दिल्ली	उडिसा
03	श्री स्टालिन अरुल रेगन	कॉक्लियर इम्प्लांट	होली क्रॉस सेवा सोसाइटी तिरुच्ची	तिरुच्ची
04	डॉ. विजयलक्ष्मी	दृष्टिगत विकलांगता में अनुसंधान की संभावनाएँ	शंकर नेत्रालय, चेन्नै	चेन्नै
05	डॉ. नीरधा चन्द्रमोहन	मस्तिष्क एवं विकलांगता	वीएचएस, तरामनी	चेन्नै
06	श्री राजेश रामचन्द्रन	आटिज्म पर चिकित्सक और निदानात्मक पहलू	अण्णा विश्वविद्यालय	चेन्नै
07	श्री के. धनवेंदन	आटिज्म पर चिकित्सक और निदानात्मक पहलू	अण्णा विश्वविद्यालय	चेन्नै
08	डॉ. विजयलक्ष्मी	शीघ्र हस्तक्षेप मानसिक गतिरोध	मधुरम नारायणा केन्द्र	चेन्नै
09	श्री राजेश रामचन्द्रन	शीघ्र हस्तक्षेप मानसिक गतिरोध	मधुरम नारायणा केन्द्र	चेन्नै
10	डॉ. नीरधा चन्द्रमोहन	मिरगी एवं परिचय व यानिक परिदृश्य	वीएचएस, तारामनी	चेन्नै
11	डॉ. विजयलक्ष्मी	विकलांग के लिए तकनीकी	वर्थ ट्रस्ट एवं विद्या विकास	चेन्नै
12	श्रीमती ऐ.जी. अनुसुया	विकलांग के लिए तकनीकी	वर्थ ट्रस्ट एवं विद्या विकास	चेन्नै
13	श्रीमती ऐ.जी. अनुसुया	प्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण - सिद्धान्त एवं अभ्यास	श्री रामचन्द्रा चिकित्सा विश्वविद्यालय	चेन्नै
14	श्री के. धनवेंदन	प्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण - सिद्धान्त एवं अभ्यास	श्री रामचन्द्रा चिकित्सा विश्वविद्यालय	चेन्नै

15	डॉ. विजयलक्ष्मी	बधिरांधता में राष्ट्रीय सम्मेलन	एनआईपीएमडी एवं सेन्स इन्टरनेशनल	नई दिल्ली
16	डॉ. के. बाला भास्कर	बधिरांधता में राष्ट्रीय सम्मेलन	एनआईपीएमडी एवं सेन्स इन्टरनेशनल	नई दिल्ली
17	श्री राजेश रामचन्द्रन	बधिरांधता में राष्ट्रीय सम्मेलन	एनआईपीएमडी एवं सेन्स इन्टरनेशनल	नई दिल्ली
18	श्रीमती ऐ.जी. अनुसुया	बधिरांधता में राष्ट्रीय सम्मेलन और विज्ञापन पत्र प्रदर्शन में भाग लेना	एनआईपीएमडी एवं सेन्स इन्टरनेशनल	नई दिल्ली
19	श्री स्टालिन अरुल रेगन	बधिरांधता में राष्ट्रीय सम्मेलन और विज्ञापन पत्र प्रदर्शन में भाग लेना	एनआईपीएमडी एवं सेन्स इन्टरनेशनल	नई दिल्ली
20	श्री कार्तिकेयन	एनएसीआईएसीपी-2009, बहुविकलांग व्यक्ति की आर्थिकारिता-एकल व्यक्ति अध्ययन	स्वीकार विद्या-परिषद का पुनर्निवेशन विज्ञान	सिकंदराबाद
21	श्री पी.एस. श्रीनिवास	संभाषण एवं श्रवण में राष्ट्रीय सम्मेलन	आई.आई. एस.एस. मैसूर	चेन्नै
22	श्री एम. राजेश	अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ज्ञान (नेटवर्किंग ICI - युग)	क्रिसेंट अभियांत्रिक महाविद्यालय एवं (एस.ए.एल. आई.एस.)	कर्नाटक
23	श्री पी.एस. श्रीनिवास	पुनर्वास विशेषज्ञों का राष्ट्रीय सम्मेलन	आरसीए., नई दिल्ली	चेन्नै
24	श्री बी.एमस. संतोष कन्ना	उत्पत्तन चिकित्सा	रोशनी विशेष स्कूल	ग्वालियर
25	श्री स्टालिन अरुल रेगन	उत्पत्तन चिकित्सा	रोशनी विशेष स्कूल	ग्वालियर
26	डॉ. विजयलक्ष्मी	बहुविकलांग के क्षेत्र में मानव संसाधन की आवश्यकताएँ	ईग्नू, एनसीडी एवं आरसीए	हैदराबाद


अनुबंध 5

A. वर्ष 2008-09 के दौरान एडिप राशी का विवरण

क्र.सं.	राशी का विवरण	रकम (रु.)
01	1 अप्रैल 2008 की आदिशेष	86,62,628
02	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पत्र सं. 4-28(5)1/2008-DDI (NGO), दि. 18-12-2008 वर्ष 2008-09 के लिए सहायता अनुदान	13,88,000
03	पत्र सं. 4-28(5) 1/2008-DD-1/(NGO), दि. 18-12-2008	7,74,174
04	पत्र सं. 4-28(14) 1/2008-DD-1/(NGO), दि. 18-12-2008	30,00,000
05	पत्र सं. 4-28(14) 1/2008-DD-1/(NGO), दि. 17-02-2009	33,00,000
06	अन्य प्राप्तियाँ (S.B. खाते पर ब्याज)	2,50,615
	कुल	1,73,75,417
	वर्ष 2009-09 के दौरान व्यय	1,16,39,132
	31 मार्च 2009 को स्थित अंतिम शेष	57,36,285

B. 01.04.2008 से 31.03.2009 तक एडिप योजना के अंतर्गत उठाये खच

क्र. सं.	जिले का नाम	ओएच सहायता	श्रवण सहायता	सहायक डिवाइस वीएच	टीएलएम सामग्री आदि एमएच/एमडी	केम्पस/ प्रदर्शनी/ कार्यशाला	कुल
1.	चेन्नै (U/A)	621218	-	-	194313	-	815531
2.	सेलम	66608	-	-	-	-	66608
3.	धर्मपुरी	-	2900	-	-	9876	12776
4.	तेनी	-	-	-	-	8074	8074
5.	कोयम्बतूर	-	73522	-	-	13069	86591
6.	कूडलूर	225706	79860	-	707808	-	1013374
7.	चिकमंगलूर	-	9000	-	-	1909	10909
8.	नामक्कल	-	-	-	4805	-	4805
9.	कांचीपुरम	701518	14000	173525	81850	22069	992962
10.	कृष्णागिरी	-	-	-	2957	-	2957
11.	डिण्डीगल	578220	-	-	-	22987	601207
12.	आरक्कोणम	490735	223620	-	368917	-	1083272
13.	तिरुच्चिरापल्ली	1418601	11560	-	-	45438	1475599
14.	ईरोड़	-	260635	-	3858	4369	268862
15.	गुंटूर (आ.प्र.)	73750	-	-	-	7091	80841
16.	नागपट्टिनम	481728	6700	3305	516240	140893	1148866
17.	चित्तूर (आ.प्र.)	759285	290303	-	-	-	1049588
18.	वेल्लूर	1227000	98705	2900	461855	75632	1866092
19.	राजपालयम	41240	-	-	-	3680	44920
20.	मदुरै	-	-	32000	-	-	32000
21.	तुरुपती (आ.प्र.)	-	-	4225	-	2251	6476
22.	विलुप्पुरम	391118	224910	-	334706	3500	954234
23.	नीलगिरी	-	-	-	-	12588	12588
	कुल	7076727	1295715	215955	2677309	373426	11639132



राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

ईस्ट कोस्ट मार्ग, मुट्टुकाडु, कोवलम डाक, चेन्नै - 603 112.

दूरभाष : 044-27472113, 27472104, फैक्स : 044-27472389

ई-मेल : niepmd@gmail.com, वेबसाइट : www.niepmd.tn.nic.in